



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249225
CG-DL-E-06102023-249225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]
No. 244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -11/2022

विषय: चीन जन.गण. और ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/11/2022-डीजीटीआर—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” कहा गया है) तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

- मैसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” “घरेलू उद्योग” अथवा “डीआई” कहा गया है) ने चीन जन.गण. और ओमान (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से चीन जन.गण. अथवा ओमान से “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों” (जिन्हें यहां आगे ‘संबद्ध सामान’ अथवा ‘विचाराधीन उत्पाद अथवा ‘पीयूसी’ भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिसे आगे यहां ‘प्राधिकारी’ भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. जबकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जो यदि लगाया जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना सं. 6/11/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा संबद्ध देशों से कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों के पाटन का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।
- ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- घ) प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति और आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- ङ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
- ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एल.एल.सी
 - ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
 - लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
 - जोन्मे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
 - शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- छ. संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए गए हैं:
- ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एल.एल.सी
 - ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
 - लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
 - शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- किंगस्टन मल्टी प्रोडक्ट्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
 - आर के सीलिंग (प्रा.) लिमिटेड
 - कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - जिपेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
 - एमडीजी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड
 - यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज
 - वरणी एल्युमिनियम
 - ए टू जेड सीलिंग प्रोडक्ट्स
 - श्री मीनाक्षी मार्केटिंग

- xii. नैचुरल स्टोन इंडस्ट्रीज
 - xiii. श्री साईबाबा इम्पैक्स
 - xiv. विकास ट्रेडिंग कंपनी
 - xv. एडोम
 - xvi. जोजो इंटरप्राइजेज
 - xvii. ठाकर ब्रादर्स
 - xviii. टोडी प्लाईवुड्स
 - xix. प्रेक्षा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xx. रॉयल इंटरप्राइजेज
 - xxi. रॉकस्ट्रेन्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - xxii. अंडर दि रूफ
 - xxiii. श्री बालाजी ट्रेडर्स
 - xxiv. एरोटेक्स सीलिंग सिस्टम
 - xxv. ब्राइट इंटीरियर्स
 - xxvi. नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 - xxvii. नौफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- झ. निम्नलिखित आयातकों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर दिया है:
- i. किंगस्टन मल्टी प्रोडक्ट्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
 - ii. आर के सीलिंग (प्रा.) लिमिटेड
 - iii. कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - v. जिपेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. एमडीजी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज
 - ix. वरणी एल्युमिनियम
 - x. ए टू जेड सीलिंग प्रोडक्ट्स
 - xi. श्री मीनाक्षी मार्केटिंग
 - xii. नैचुरल स्टोन इंडस्ट्रीज
 - xiii. श्री साईबाबा इम्पैक्स
 - xiv. विकास ट्रेडिंग कंपनी
 - xv. एडोम
 - xvi. जोजो इंटरप्राइजेज
 - xvii. ठाकर ब्रादर्स
 - xviii. टोडी प्लाईवुड्स
 - xix. प्रेक्षा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xx. रॉयल इंटरप्राइजेज
 - xxi. रॉकस्ट्रेन्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - xxii. अंडर दि रूफ
 - xxiii. श्री बालाजी ट्रेडर्स
 - xxiv. एरोटेक्स सीलिंग सिस्टम
 - xxv. ब्राइट इंटीरियर्स
 - xxvi. नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 - xxvii. नौफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- ज. यह भी नोट किया जाता है कि उपर्युक्त आयातकों में से निम्नलिखित ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं:
- सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड
 - विकास ट्रेडिंग कंपनी
 - आर के सीलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
 - डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - एडम
 - नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने इ-मेल के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
- ठ. डीजी सिस्टम्स डाटा से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने लेन-देनों की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा के परिकलन और उसके विश्लेषण के लिए उन पर विश्वास किया है।
- ड. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री के आधार पर क्षति रहित कीमत ("एनआईपी") निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के स्थल पर सत्यापन के माध्यम से भौतिक निरीक्षण झगड़िया, गुजरात में स्थित उनके संयंत्र में किया गया था। निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी उस सूचना पर विश्वास करते हुए यह प्रकटन विवरण जारी करते हैं।
- ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई कहा गया है) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019, अप्रैल, 2019- मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।
- त. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक किए गए अनुरोध और वर्तमान जांच में संगत माने गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं, किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की है।
- ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 5 जुलाई, 2023 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर यदि कोई है, अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- न. इस प्रकटन विवरण में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- प. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 20.09.2023 के प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पार्टियों को बताया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माना गया था, को इन अंतिम निष्कर्षों में संबोधित किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पहले के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। हालांकि, इन अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों की जांच की जा रही है।
- फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=75.34 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीवीसी) और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:—

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें” है। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी, वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मेटलाइज्ड पोलिएस्टर फिल्म जैसी सामग्री का प्रयोग नमी रोकने के लिए अनिवार्य रूप से दूसरी ओर किया जाता है।

5. संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल, हल्के, उच्च गुणवत्ता वाले सजावटी सीलिंग टाइल्स हैं जो अग्निरোধक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। संबद्ध सामान पीवीसी जिप्सम टाइल्स, जिप्सम सीलिंग टाइल्स, सीलिंग टाइल्स आदि के रूप में भी जाने जाते हैं। पीवीसी लेमिनेटेड जिप्सम सीलिंग टाइल्स मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं।

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 68069000, 68080000, 6809110, 68091900 और 68099000 के तहत अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि कुछ आयात सीमा प्रशुल्क शीर्ष 70195900 और 73083000 के तहत भी किए जाते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

क. इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या मिनरल फाइबर साउंड-अबजोर्विंग शीट्स वर्तमान जांच की शुरुआत में शामिल हैं अथवा नहीं।

ख. विचाराधीन उत्पाद में जिप्सम बोर्ड से बनाई गई केवल सीलिंग टाइलें शामिल हैं और कम से कम एक ओर उन पर लेमिनेशन है।

ग. ओमान सल्तनत सरकार ने प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएस कोड 68091100 को हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि वह एक साइड से लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड/सीलिंग टाइलों से संबंधित ही नहीं है। इस एचएस कोड में भिन्न जिप्सम उत्पाद हैं जो आयात और क्षति विश्लेषण की भ्रामक तस्वीर बना सकते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें” है। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी, वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मेटलाइज्ड पोलिएस्टर फिल्म जैसी सामग्री का प्रयोग नमी रोकने के लिए अनिवार्य रूप से दूसरी ओर किया जाता है। पीवीसी लेमिनेटेड जिप्सम सीलिंग टाइल्स मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं।

ख. संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल, हल्के, उच्च गुणवत्ता वाले सजावटी सीलिंग टाइल्स हैं जो अग्निरোধक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।

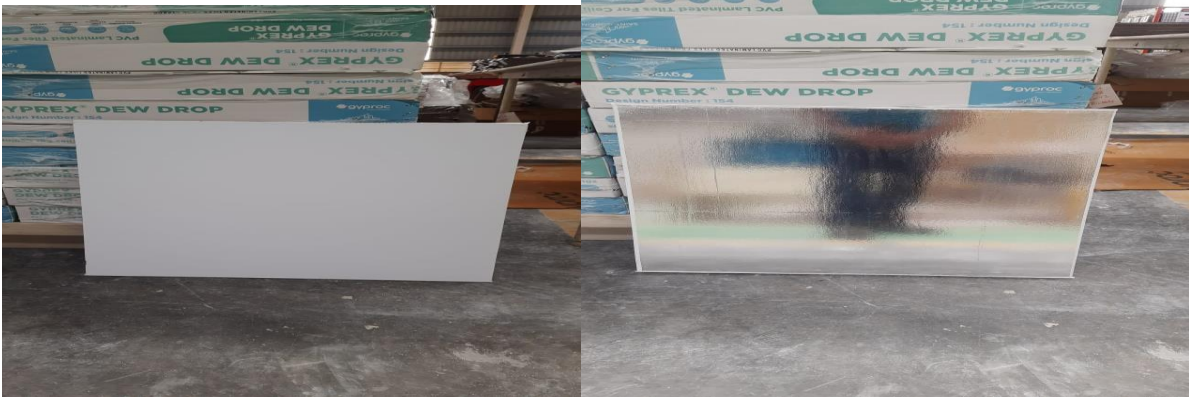
ग. एक हितबद्ध पक्षकार ने उत्पाद क्षेत्र के और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता के संबंध में अनुरोध दायर किए थे। इस संदर्भ में यह अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है क्योंकि केवल विचाराधीन उत्पाद कोई जिप्सम में से उत्पादित संबद्ध सामान माना गया न कि अन्य सामग्री को।

घ. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबद्ध सामानों में नॉन-लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त परफोरेटेड टाइल्स और जिप्सम से न बनाई गई टाइलों की अन्य किस्में विचाराधीन उत्पाद और जांच के क्षेत्र के बाहर हैं। चूंकि उपर्युक्त टाइलें विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं हैं, अतः विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उन्हें बाहर करने के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।

ड. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत और वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए नियमावली के तहत ‘समान वस्तु’ माना जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें” है। संबद्ध सामान पीवीसी जिप्सम टाइल्स, जिप्सम सीलिंग



टाइल्स, सीलिंग टाइल्स आदि के रूप में भी जाने जाते हैं। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी, वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल हल्के, उच्च गुणवत्ता की सजावटी सीलिंग टाइलें हैं जो अग्निरোধक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।

8. संबद्ध सामान अध्याय शीर्ष 68 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 68069000, 68080000, 6809110, 68091900 और 68099000 के तहत अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि कुछ आयात सीमा प्रशुल्क शीर्ष 70195900 और 73083000 के तहत भी किए जाते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
9. मिनरल फाइबर बोर्ड से संबंधित वर्गीकरण के लिए अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा परिभाषित संबद्ध सामान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में नॉन-लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, परफोरेटेड टाइल्स और जिप्सम से न बनाई गई टाइलों की अन्य किस्में विचाराधीन उत्पाद और जांच के क्षेत्र से बाहर हैं।
10. 'समान वस्तु' की परिभाषा संबंधित नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार यह निर्धारित है कि 'समान वस्तु' का अर्थ उस वस्तु से है कि भारत में पाटित की जा रही वस्तु अथवा उस वस्तु के अभाव में जांच के तहत वस्तु के समान हर तरह से समान अथवा तरह है, जो यद्यपि, सभी दृष्टि से असमान अन्य वस्तु है और जिसमें जांच के तहत वस्तुओं की उनसे निकट समानता की विशेषताएं हैं।
11. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में आयातित संबद्ध उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।
12. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएस कोड 680911000 को हटाने के संबंध में ओमान सलतनत सरकार के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। अतः, विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर अन्य सामानों पर यदि एचएस कोड 680911000 के तहत आयातित न किए जाने पर भी शुल्क नहीं लगेंगे।
13. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भारत में संबद्ध सामानों के दो और उत्पादक अर्थात् जिपटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो उस अवधि से पूर्व संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं जब आवेदक ने संबद्ध सामानों का उत्पादन आरंभ किया। अतः, आवेदक उद्योग संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक नहीं कहा जा सकता।
- ख. अनुरोध है कि चूंकि आवेदक द्वारा बताए गए अन्य उत्पादक जांच की अवधि के दौरान अस्तित्व में थे, अतः यह तथ्य कि उन्होंने क्षति का सामाधान करने के लिए प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया है, सिद्ध करता है कि उन्हें कोई क्षति नहीं हो रही है।
- ग. यह अनुरोध है कि भारत में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक होने का दावा नहीं कर सकता। आवेदक नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग बनने और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार बनाने में भी विफल है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - क. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स सेंट गोबैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अक्टूबर, 2020 में अपने झगडिया संयंत्र में उत्पादन शुरू किया।
 - ख. यह भी अनुरोध है कि एसजीआईपीएल के अलावा, संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक अर्थात् एशियाटिक जिप्सम और फोरलाइन जिप्लान हैं। तथापि, दोनों उत्पादकों ने अपना उत्पादन जांच की अवधि के बाद शुरू किया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दोनों उत्पादकों ने संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया है।
 - ग. संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादकों की मौजूदगी के संबंध में यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दोनों उत्पादक संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और मात्र उनके व्यापारी हैं। इसके अतिरिक्त, जिपटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड चीन से संबद्ध सामानों का आयात कर रहा है।
 - घ. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं और इस प्रकार, नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”
17. आवेदन पत्र मैसर्स सेंट गोबैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने अक्टूबर, 2020 में अपने झगडिया संयंत्र में संबद्ध सामानों का उत्पादन आरंभ किया है।
18. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद दो अन्य उत्पादकों अर्थात् एशियाटिक जिप्स और फोरलाइन जिप्लान ने उत्पादन आरंभ किया था और अपने प्रचालन अस्थायी रूप से बंद भी किए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के दोनों उत्पादकों को पत्र भेजे। तथापि, उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
19. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जिपटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने से पूर्व संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे थे। इस संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया है और दोनों कंपनियों को उनके संबद्ध सामानों के लिए प्रचालन, उत्पादन आदि से संबंधित संगत सूचना के लिए अनुरोध करते हुए लिखित पत्र भेजे। तथापि, प्राधिकारी को उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है कि क्या दोनों कंपनियां जांच की अवधि से पूर्व/उसके दौरान संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी को आवेदक उद्योग के तर्क का विरोध करने वाला कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः प्राधिकारी ने नियम 5(3) के अनुसार आधार के लिए मानदंड पूरा करने वाले नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक उद्योग को घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना है।

20. आवेदक उद्योग ने यह भी प्रमाणित किया है कि उत्पादन शुरू करने के बाद आवेदक द्वारा अथवा उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध भी नहीं हैं।
21. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र मानते हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. वर्तमान आवेदन पत्र में गोपनीयता का अत्यधिक प्रयोग किया गया है और आवेदक ने गोपनीयता के तहत कई आधारभूत सूचना में पहुंच से इंकार किया है।
 - ख. नियम 7 में किसी भी तरीके से यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग न्यूनतम सूचना प्रदान कर सकता है; इसकी अपेक्षा इससे घरेलू उद्योग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्याप्त ब्यौरे में सार प्रस्तुत करें ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उपयुक्त समझ की अनुमति हो।
 - ग. कानून में यह उल्लेख है कि यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा सामान्यीकृत रूप में उसका प्रकटन करने के प्राधिकार का अथवा सारभूत रूप में प्रकटन करने का प्राधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. आवेदक ने कब्जे में व्यापार सूचना सं. 10/2018 के तहत उल्लिखित अपेक्षाओं का पालन किया है और उपर्युक्त व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित पूरी सूचना दी है। यह नोट करना व्यावहारिक है कि बेकार आरोप लगाते समय उत्तरदाता संगत व्यापार सूचनाओं के साथ पठित नियम 7 की अपेक्षाओं से किसी वास्तविक विचलन का उल्लेख करने में विफल रहे हैं।
 - ख. यह कि आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर को संशोधित करने अथवा गोपनीयता का दावा करने के कारण देने के लिए प्राधिकारी के निर्देश पर घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दायर किया है। तथापि, एक कमीपूर्ण उत्तर दायर करने के बावजूद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अद्यतन अगोपनीय रूपांतर प्रचालित नहीं किया गया था।
 - ग. निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के पास गोपनीयता का दावा ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने प्राधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना रोकी है। अतः, उनके उत्तरों को रद्द किया जाना चाहिए।
 - घ. निर्यातकों ने बिना किसी उचित औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर उचित कारण दिए बिना गोपनीय रूपांतर में निहित पूरी सूचना के लिए नहीं दिया गया है।
 - ड. माननीय न्यायालयों और अधिकरणों ने स्पष्ट रूप से माना था कि गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को दी गई सूचना को मात्र इसलिए गोपनीय माने जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी है और उन्होंने गोपनीयता के दावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह माना गया है कि गोपनीयता पारदर्शिता को समाप्त करने अथवा विरोधी पक्षकारों के लिए विवशता बनाने के लिए प्रकटन से इंकार करने हेतु मात्र एक अस्त्र नहीं है। यह निर्धारित किया गया है कि पारदर्शिता के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों से अपेक्षा करें जो गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना के सार की उपयुक्त समझ बनाने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होगी।
 - च. दुर्भाग्यवश न तो उपर्युक्त पक्षकारों ने अपने उत्तरों में कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास भी किया है और न ही इतनी महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण ही दिया।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है:
25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“ गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा अथवा इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है) अथवा किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर जो सूचना दी गई है, अच्छे कारण दर्शाकर, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी जाएगी। यह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।
27. प्राधिकारी ने ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश देकर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। व्यापारी संवेदी सूचना परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, गोपनीय नहीं मानी जा सकती।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- क. आवेदक ने अपनी इनपुट लागत के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत निर्मित की थी और इसीलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रत्येक कारक की सावधानीपूर्वक पर्याप्त रूप से जांच करें और उपयुक्त समायोजन करें।
- ख. आवेदक ने निर्यात कीमत से अत्यधिक समायोजनों का दावा किया है जो कम निर्यात कीमत दर्शाने के इरादे से भी है।
- ग. आवेदन पत्र में पाटन और क्षति मार्जिन के दावे अत्यधिक बढ़ाए हुए प्रतीत होते हैं और संगत तथा लागू तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
- घ. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए वास्तविक संगत आंकड़ों पर विचार करना चाहिए जिसका अभिप्राय प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दिए गए पाटन मार्जिन से है।
- ङ. प्राधिकारी इस अनुरोध में उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करें जिन्होंने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
- च. ओमान से विशेष बाजार स्थिति का प्रयोग करने के लिए आवेदक उद्योग का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दावा लिखित अनुरोधों में पहली बार किया गया था। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना केवल न्यूनतम निर्यात कीमत और दोहरी कीमत की मौजूदगी सिद्ध करती है।
- छ. इसके अतिरिक्त, इनपुट के रूप में कच्ची जिप्सम से संबंधित पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने यह नहीं माना है कि ओमान से निर्यातक किसी विशेष परिस्थितियों से लाभान्वित हैं। यह भी अनुरोध है कि दोहरी नीति से संबंधित सूचना अथवा ऐसी कोई अन्य सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर नहीं की गई है और इसीलिए विशेष बाजार स्थिति से संबंधित दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- ज. यह अनुरोध है कि यह मानते हुए न कि स्वीकार करते हुए कि चीनी कंपनियों के लाभ और घरेलू बिक्री के लिए सूचना आवश्यक सूचना के रूप में मानी जाती है, उसे दायर न करना पूरे उत्तर को रद्द करना नहीं माना जाता। चीनी कंपनियों द्वारा दी गई निर्यात कीमत संबंधी सूचना पूर्ण और सही है। अतः, प्राधिकारी निर्यात कीमत के संबंध में सूचना से संबंधित उपलब्ध तथ्य लागू कर सकते हैं।

- झ. आवेदक उद्योग के लागत मानदंडों के आधार पर ओमान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन गलत है और प्राधिकारी को ओमान से निर्यातक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों को स्वीकार करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यहां तक कि यदि भारतीय प्राधिकारी निर्मित सामान्य मूल्य का प्रयोग करने पर जोर देते हैं तो सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए प्रयुक्त लागत उत्पादक के रिकॉर्ड से और मूल देश से होनी चाहिए अथवा यहां तक कि लागतें मूल देश में विद्यमान स्थितियों को दर्शाने के लिए समायोजित की जानी चाहिए।
- ञ. उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि किसी विशेष बाजार स्थिति के संबंध में आवेदक का तर्क अत्यधिक देरी से दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने 'दोहरी कीमत' का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक द्वारा उल्लिखित एकमात्र दस्तावेज न्यूनतम निर्यात कीमत की शुरुआत की मौजूदगी दर्शाता है। तथापि, ओमान सरकार द्वारा घरेलू कीमतों के नियंत्रण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। विशेष बाजार स्थिति का आरोप लगाने के लिए आवेदक द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक निर्णय 246/2016 वास्तव में कच्चे जिप्सम के निर्यात के लिए ही न्यूनतम कीमत आरंभ निर्धारित करता है। न्यूनतम निर्यात कीमत का निर्धारण यह सिद्ध नहीं करता कि कच्चे जिप्सम की घरेलू कीमत कम है। आवेदक ने इसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- ट. उत्पादक/निर्यातक द्वारा पृथक उत्तर दायर किए जाने की आवश्यकता के संबंध में उत्तरदाता निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि दो संबद्ध कंपनियों के लिए एक उत्तर देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि दोनों कंपनियों ने प्रश्नावली के उत्तर में मांगी गई पूरी 'आवश्यक सूचना' दी है। आवेदक ने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया है जहां कंपनियों ने 'आवश्यक सूचना' न दी हो।
- ठ. यूरोप (संयुक्त) को प्रतिनिधि बनाए जाने का अनुरोध देरी से किया गया है और इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यूरोपी (संयुक्त) उपयुक्त प्रतिनिधि देश नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं है और केवल एक महाद्वीप है।
- ड. चीनी निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना उपलब्ध न्याय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक सूचना है। यह भी अनुरोध है कि कुछ सूचना प्रस्तुत न किए जाने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू करना पूरे उत्तर को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता।
- ढ. निर्यातकों की उत्पादन लागत उपयुक्त रूप से संबद्ध सामानों के उत्पादन से जुड़ी लागत उपयुक्त रूप से दर्शाती है और आवेदक के शेष दावों का कोई अर्थ नहीं है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए हैं:
- क. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए अपने आवेदन-पत्र में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई विश्वसनीयता सूचना प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के आयातों अथवा अन्य देशों को निर्यातों से संबंधित सूचना जांच की अवधि के लिए सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध नहीं थी।
- ख. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए तथा लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ मूल देश में उपर्युक्त वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संबंधी सूचना ओमान से कच्ची जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत अर्थात् लोक खनन प्राधिकारी, ओमान सलतन द्वारा प्रकाशित दिनांक 19.12.2016 के प्रशासनिक निर्णय संख्या 264/2016 के आधार पर 12.5 अमरीकी डॉलर/एमटी पर विचार करने के बाद निर्मित की गई थी। जहां तक चीन का एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने का संबंध है, आवेदक घरेलू उद्योग ने चीन के लिए कच्ची जिप्सम की कच्ची सामग्री की कीमत के रूप में ओमान से कच्ची जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत का प्रयोग किया है। अतः, निर्मित सामान्य मूल्य प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार निकाला गया है।
- ग. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि केवल एकमात्र ओमान से प्रतिभागी निर्यातक ने पूरी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और इसीलिए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे कृपया उनके उत्तरों को पूर्ण रूप से रद्द करें। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके लिए निर्मित सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय प्राधिकारी को 12.5 अम. डॉ. एमटी के रूप में जिप्सम लागत माननी चाहिए।
- घ. चीन के किसी भी निर्यातक ने पूरी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। यहां तक कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिपत्र दायर नहीं किए गए हैं। इसी दृष्टि से, प्राधिकारी को सभी चीनी निर्यातकों के उत्तर रद्द करने चाहिए। यह भी अनुरोध है कि निर्यातकों ने अपने कुल बिक्री चैनल प्रकट नहीं किए हैं और संबद्ध कंपनियों ने जो निर्यात किया है, ने भी पूरी प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

- ड. घरेलू उद्योग का यह भी अनुरोध है कि विशिष्ट प्रपत्र और अनुदेशों के बावजूद चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक अर्थात् लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और जोनमे बिल्लिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने एक ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सूचना छिपाई कि दोनों कंपनियों ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उपर्युक्त कमियों के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर कि सभी प्रपत्र उनके द्वारा दायर नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी को अकेले इस आधार पर ही उनके उत्तरों को रद्द करना चाहिए।
- च. आवेदन पत्र में निर्यात कीमत सहायक स्रोत आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन सार समान और मंजूरी प्रभार, बैंक प्रभार, कमीशन और ऋण लागत घटाई है।
- छ. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित प्रतिनिधि कीमत के रूप में यूरोपीय संघ से कीमतों पर विचार करें, क्योंकि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने पूरा उत्तर नहीं दिया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

सामान्य मूल्य का परिकलन

30. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:
- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
 - उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;
31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर वर्तमान जांच में भाग लिया है:
- क. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी लिमिटेड, ओमान
 ख. जोनमे बिल्लिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड एंड लिनयी ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
 ग. ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
 घ. शिजियाझुआंग डियानयु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
32. उपर्युक्त सभी उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर पर प्राधिकारी द्वारा जोनमी बिल्लिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को छोड़कर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि जोनमे बिल्लिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनयी ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने कमी को दूर करने का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद निर्यातक की प्रश्नावली का पूरा जवाब और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई प्रासंगिक जानकारी दाखिल नहीं की है। इसके मद्देनजर प्रस्ताव है कि उसके निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार न किया जाए। तदनुसार, प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्य लागू करें।
33. संबद्ध देशों में प्रचलित सामान्य मूल्य के रूप में प्रतिनिधि कीमतों के रूप में आवश्यक समायोजनों के बाद यूरोपीय संघ से निर्यातों पर विचार किए जाने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा काफी नहीं है। अतः, यूरोपीय संघ को संबद्ध देशों के लिए प्रतिनिधि देश नहीं माना जा सकता।
34. ओमान में विशेष बाजार स्थिति पर विचार करने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने प्रशासनिक निर्णय सं. 264/2016 का उल्लेख किया था, तथापि यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने दोहरी कीमतों की मौजूदगी सिद्ध नहीं की है और यह सिद्ध नहीं किया है कि उसका सामान्य मूल्य के परिकलन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी दशा में, अपेक्षित आंकड़ों के अभाव में प्राधिकारी ओमान से विशेष बाजार स्थिति के प्रावधानों को लगाने में सक्षम नहीं हैं।

चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

35. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि इस उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

36. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने चीन जन.गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा नहीं किया है, अतः प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

"गैरशामिल करने के लिए भार बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को-त में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।-समय, जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो आवेदकों और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों, निर्यातों अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम होने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

38. पूर्वोक्त के मद्देनजर और नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन के लिए निर्यात कीमत**ड्रीम ब्रांड न्यू मैटरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड**

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक मैसर्स ड्रीम ब्रांड न्यू मैटरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड (ड्रीम ब्रांड) ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने एफओबी आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अमरीकी डॉलर के संबद्ध सामानों के ***एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने ड्रीम ब्रांड द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तदनुसार दावों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, ड्रीम ब्रांड न्यू मैटरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है:

शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक और निर्यातक)

40. प्राधिकारी नोट करते हैं चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक मैसर्स शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (शिजियाहुआंग) ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने एफओबी आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अमरीकी डॉलर के संबद्ध सामानों के ***एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने शिजियाहुआंग द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तदनुसार दावों की अनुमति दी है। तदनुसार, शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है:

जोनमे बिलिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स जोनमे बिलिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने संबद्ध व्यापारी अर्थात् लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। व्यापारी ने अंततः जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री की। तथापि, प्राधिकारी को जोनमे बिलिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट(निर्यातक) को बिक्री के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण से, प्राधिकारी जोनमे बिलिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत परिकलित नहीं कर पाए।
42. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकारी जोनमे बिलिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को जांच में असहयोगी मानने का प्रस्ताव करते हैं।

चीन जन.गण. से अन्य उत्पादक

43. चीन जन.गण. के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादक द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ओमान के लिए सामान्य मूल्य**ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी के लिए सामान्य मूल्य**

44. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी, जो ओमान में संबद्ध सामानों का उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।
45. जीजीबीसी द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की है। तथापि, यह नोट किया गया था कि जीजीबीसी द्वारा दायर लागत संबंधी सूचना पूरी तरह से अपर्याप्त थी। कंपनी ने समग्र रूप से कंपनी के संबंध में सूचना दी है कि न कि अनुबंध-7 और 8 में संबद्ध सामानों की लागत से संबंधित कोई सूचना दी। संबद्ध सामानों की लागत संबंधी सूचना के अभाव में प्राधिकारी उत्पादन लागत निर्धारित करने में और संबद्ध सामानों के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने में असमर्थ हैं। अतः, प्राधिकारी जीजीबीसी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं।
46. तदनुसार, ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी के लिए सामान्य मूल्य विधिवत समायोजित और उपयुक्त एसजीए खर्चों तथा लाभ मार्जिन के साथ भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओमान के अन्य सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओमान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उनके मामले में सामान्य मूल्य रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी, ओमान के लिए निर्यात कीमत

48. ओमान में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी (ग्लोबल जिप्सम बोर्ड) ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने सीएंडएफ आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अम.डा. के संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पत्तन एवं अन्य खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। ग्लोबल जिप्सम बोर्ड द्वारा किए गए दावों की जांच की गई थी और तदनुसार, दावों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति दिए जाने के बाद निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओमान के अन्य उत्पादक

49. ओमान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किए हैं और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

50. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किए गए हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	विवरण	एनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		पाटन मार्जिन रेंज
			यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	%
1	चीन	ड्रीमब्रांड न्यू मैटरियल्स (पिंगयि) कं.(उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	110-120
2		शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट.(उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	100-110
3		अन्य कोई	***	***	***	***	120-130
4	ओमान	गलेबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी.(उत्पादक/निर्यातक) ओमान	***	***	***	***	50-60
5		अन्य कोई	***	***	***	***	60-70

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं हैं बल्कि काफी भी हैं।

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

52. जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कारणात्मक संपर्क और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. वास्तविक मंदी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड और जिप्सम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक ऐसे उत्पादक हैं जो पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के व्यापार में हैं।
- ख. यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि संबद्ध सामान उत्पादन के मानदंडों की योग्यता प्राप्त नहीं करते, अतः आवेदक उद्योग को संबद्ध सामानों का उत्पादक होना नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों में कच्ची सामग्री से मूल्य अभिवृद्धि बहुत ही कम है जो इस बात को भी स्पष्ट करती है कि वर्तमान जांच क्षति के तहत वास्तविक मंदी के खंड के तहत नहीं की जा सकती।
- ग. जिप्सम बोर्ड से मूल्य अभिवृद्धि पर विचार करते हुए संबद्ध सामानों को इस वर्तमान जांच के लिए नया उत्पाद नहीं माना जा सकता।
- घ. यह भी अनुरोध है कि आवेदक उद्योग को एक नया उद्योग अथवा एक स्थापित होने वाला उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि मूल्य अभिवृद्धि जिप्सम बोर्ड से नगण्य (अर्थात् 4 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त, आवेदक उद्योग द्वारा किया गया निवेश भी आवेदक उद्योग (समग्र रूप से कंपनी) द्वारा किए गए कुल निवेश की तुलना में बहुत ही कम प्रतिशत है।
- ड. उत्तरदाता ने अनुरोध किया है कि आवेदक एक नया उद्योग नहीं है और उनका यह दावा कि वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर, 2020 में शुरू हुआ, गलत है क्योंकि आवेदक फरवरी, 2018 से इस उत्पाद का उत्पादन करता आ रहा है जोकि क्षति की अवधि से पूर्व है। अतः, वास्तविक मंदी का दावा नहीं बनता है। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच को समाप्त किया जाए क्योंकि आवेदक ने प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया है। यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग उस सीमा तक 'उत्पादन' को नहीं ले रहा है कि वह उत्पाद के उत्पादन में खुद को लगा हुआ हो सकता हो।
- च. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण भी वर्तमान जांच एक नए उद्योग के परीक्षण को पास नहीं करती।

- छ. यह जांच करने के लिए कि क्या यह उद्योग स्थापित है, उत्पादन शुरू करने के समय, उत्पादन की प्रकृति, क्या उत्पादन विद्यमान उद्योग में केवल नया उत्पाद लाइन है, उत्पाद के आकार बनाम घरेलू बाजार के आकार और उत्पादन की स्थिरता की जांच करने की आवश्यकता है। इन मानदंडों के आधार पर प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दावों की जांच करनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए कि घरेलू उद्योग एक स्थापित होने वाला उद्योग नहीं है।
- ज. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग 2015 से संबद्ध सामानों का उत्पादन करता आ रहा है और इसीलिए उन्हें एक नया उद्योग नहीं माना जा सकता।
- झ. वास्तविक मंदी के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक को बाजार में एक रास्ता अभी पाना है अथवा पहले से स्थापित है।
- ञ. यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से बोर्डों और लेमिनेशन के लिए प्रयुक्त पूरी कच्ची सामग्री का आयात कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्री में वृद्धि का एक कारक के रूप में तब आरोप नहीं लगाया जा सकता जब घरेलू उद्योग खुद कच्ची सामग्री का उत्पादन कर रहा है।
- ट. 2.1 वर्षों के भीतर आय बनाने में असमर्थता इसलिए है क्योंकि आवेदक का वाणिज्यिक उत्पादन महामारी के दौरान उस समय शुरू हुआ जब क्षति की अवधि में मांग सबसे कम थी।
- ठ. यह अनुरोध है कि सभी मानदंडों ने सुधार दर्शाया है और इसीलिए वास्तविक क्षति के संबंध में भी वर्तमान जांच रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध सामानों और कच्ची सामग्री अर्थात् जिप्सम लेमिनेशन के बिना जिप्सम बोर्ड के उत्पादन में उत्पादन प्रक्रिया, वाणिज्यिक और अनुसंधान अतिव्यापन आदि में काफी अतिव्यापन है। अतः, उन्हें संबद्ध सामानों के उत्पादकों के रूप में घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता जिन्हें कोई क्षति हो सकती हो।
- ढ. भारत को ओमानी उद्योग का निर्यात बुरी तरह से गिर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओमान से भारत में बहुत ही कम मात्राओं का निर्यात हुआ है। अतः, भारतीय बाजार में उनका निर्यात न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त, इस जांच में भाग लेने वाली ओमानी कंपनी ने यह उल्लेख किया कि उन्होंने 2022 से भारत को निर्यात करना बंद कर दिया है।
- ण. यह अनुरोध है कि सभी क्षति संबंधी मानदंड बढ़ रहे हैं और इसीलिए तथ्य घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि वे खुद को स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं।
- क. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान विशेष रूप से उल्लेख किए जाने के बावजूद उत्तरदाताओं ने किसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जो किसी नए उद्योग के रूप में किसी उद्योग पर विचार किए जाने के लिए किसी निवेश की शुरुआत के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिदेशित करता हो अथवा दूर से भी सुझाव देता हो अथवा कोई मार्गदर्शन देता हो। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और न ही कोई तर्कसंगत तर्क दिया गया है, अतः हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई औचित्य अथवा सार नहीं है और इसीलिए उसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए विशिष्ट निवेश की शुरुआत प्रदान करने के लिए कानून का आशय होता तो उसमें विशिष्ट रूप से ऐसा कहा गया होता। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया कि जहां कहीं संख्यात्मक मूल्य आवश्यक समझे गए थे, कानून ने उसके लिए विशेष प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के लिए कानून के तहत विशेष रूप से किए गए प्रावधान से आगे जाने के लिए न तो अपेक्षित है और न ही उन्हें करना है और इसीलिए किसी नए उद्योग के निवेश स्तरों में जाना केवल कानून के प्राधिकार के बिना ही नहीं होगा बल्कि दिशाहीन पूर्वोदाहरण निर्धारित करना भी होगा।
- ग. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध सामान नए उत्पाद नहीं हैं, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि 'नए उत्पाद' अथवा 'विनिर्माण' शब्द पाटनरोधी कानूनों में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 'विनिर्माण' शब्द का अर्थ केवल उन परिवर्तनों से है जिनके परिणामस्वरूप नए नाम विशेषता और प्रयोग के साथ उत्पाद होता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया था कि चूंकि विनिर्माण की परिभाषा पाटनरोधी और उत्पाद शुल्क संबंधी कानून में समान है, अतः शीर्ष न्यायालय का अनुपात सीधे संदर्भ का है और उसका निकटस्थ समझने वाला मूल्य है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि संकल्पना को समझने में कोई तार्किक अथवा कानूनी व्यवधान नहीं है।
- घ. यह भी अनुरोध है कि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का एक प्रकार्य है। यह पूरी तरह से असंगत है, चाहे निवेश 'कम' हो, पूर्ण दृष्टि से या आवेदक कंपनी में समग्र निवेश के संबंध में। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाया गया दृष्टिकोण का किसी भी परिस्थिति में सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि पूर्ण अथवा सापेक्ष संदर्भ में शुरुआती निवेश निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। दुर्भाग्यवश यह दृष्टिकोण आवेदक

उद्योग के लिए ही हानिकारक नहीं होगा बल्कि पाटनरोधी कानूनों और प्रक्रियाओं की योजना में पूरी अनदेखी में भी होगा। प्राधिकारी के लिए वास्तव में यह संतुष्ट होना संगत है कि उद्योग ने उत्पादन की दक्षताएं सुनिश्चित करने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त निवेश किए हैं।

- ड. सुविधाओं के अतिव्यापन के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि एक नया उत्पाद अस्तित्व में आने वाला नहीं कहा जा सकता, यदि प्रक्रिया में कोई अतिव्यापन है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अतिव्यापन महत्वपूर्ण है, फिर भी प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि एक नया उत्पाद विनिर्मित किया जा रहा है। अतिव्यापन की अधिक मात्रा से बारीक जांच की मांग हो सकती है परंतु निर्णायक अथवा निष्कर्षात्मक परीक्षण नहीं हो सकता। अतः, वास्तविक परीक्षण वे हैं जो ऊपर उल्लिखित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनमें उल्लिखित कारणों से दिए गए हैं।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संबद्ध सामानों के उत्पादन में तथाकथित 'ओवरलैप' न्यूनतम है जो ऊपरी खर्चों, विपणन आदि के कारण हुई लागत तक प्रतिबंधित भी है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन पत्र में सूचीबद्ध पच्चीस कदमों में से केवल दो विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट हैं, यह कार्य वास्तविक रूप से गलत है और नकारा जाता है, विचाराधीन उत्पाद के लिए मशीनें तथा संयंत्र और भवन बोर्ड की विनिर्माण सुविधा से पूरी तरह से भिन्न थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मूल्य अभिवृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक है, एक तथ्य जिसे रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। घरेलू उद्योग ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए समान मुद्दों से संबंधित पूर्व की डीजीटीआर जांचों पर भी विश्वास किया है।
- छ. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यद्यपि वे एक ही स्थान पर संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं, तथापि, वे विशिष्ट भौगोलिक बाजारों की पूर्ति करने के लिए अन्य स्थानों पर समान सुविधाएं बनाने का इरादा रखते हैं, जिसे संबद्ध देशों से निरंतर पाटन के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
- ज. जहां तक संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादकों के मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन दो अन्य उत्पादकों ने जांच की अवधि के बाद उत्पादन शुरू किया है उन्होंने संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारक आयातों के कारण अस्थायी रूप से पहले ही बंद कर दिया है।
- झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है चूंकि एसजी ग्रुप अपनी अनुपंगी कंपनी अनुसंधान एवं विकास के विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग कर रहा है, अतः इस जांच को वास्तविक मंदी के रूप में नहीं माना जा सकता, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने भारतीय बाजार में अपनी स्थापना को वास्तविक मंदी का दावा करते हुए पाटनरोधी आवेदन-पत्र दायर किया है न कि अन्य बाजारों में। अतः, विभिन्न देशों में स्थित पृथक कानूनी कंपनियों पर विश्वास करना वर्तमान जांच पर कोई कानूनी अथवा तार्किक व्यवधान नहीं है।
- ञ. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू करने की तारीख का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत में अक्टूबर, 2020 में पहली बार संबद्ध सामानों का उत्पादन किया और अक्टूबर, 2020 से पूर्व वे संबद्ध सामानों का आयात कर रहे थे और भारतीय बाजार में बेच रहे थे। इसके मद्देनजर, कोई ऐसी सूचना/साक्ष्य नहीं था जो यह बताए कि घरेलू उद्योग ने कोई गलत और भ्रामक अनुरोध किए हैं।
- ट. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण मात्रात्मक तथा कीमत क्षति कम कीमत पर बिक्री की हानि हुई है। लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और बाजार हिस्सा जैसे मानदंड पूर्ण संख्याओं में भी काफी प्रतिकूल थे। उत्पादन और घरेलू बिक्री के संदर्भ में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कम मूल्य के पाटित आयातों के कारण हानियां होती जा रही हैं।
- ठ. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के लिए अन्य कोई कारक नहीं कहा जा सकता।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

54. अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
55. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

56. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान उत्पादों के लिए पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव; और (ख) इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनाएगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोकेंगे जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति, यदि कोई है, के बीच कारणात्मक संपर्क और क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है।
57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का है। क्षति विश्लेषण की कार्यवाही करने से पूर्व किसी उद्योग की स्थापना को 'वास्तविक मंदी' की संकल्पना के संबंध में कुछ कानूनी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है।
58. जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 में 'वास्तविक मंदी' के लिए किसी परिभाषा का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद के फुटनोट 9 में केवल निम्नलिखित उल्लेख है:
- "इस करार के तहत 'क्षति' शब्द, जब तक अन्यथा निर्धारित न हो का अर्थ घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे किसी उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी होगा और इस निर्वचन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार होगा"*
59. इसी तरह सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 का मामला है जिसमें अनुबंध-II केवल 'वास्तविक क्षति', जिसमें 'क्षति' की परिभाषा के तहत केवल 'वास्तविक क्षति' 'वास्तविक क्षति का खतरा' और 'वास्तविक मंदी' जुड़ते हैं। इस संबंध में और कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जो किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी बनाता हो।
60. तथापि, यह स्पष्ट है कि 'वास्तविक मंदी' केवल अनस्थापित उद्योगों पर लागू होती है न कि उन उद्योगों पर जो पूरी तरह से स्थापित हैं। यह सच है क्योंकि यह प्राधिकारी के लिए यह पाने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हो रही थी (जो यह मानती है कि ऐसा उद्योग पहले से ही स्थापित था) और इसके साथ ही घरेलू उद्योग की स्थापना को उन आयातों से वास्तविक रूप से मंदी हुई थी। 'अनस्थापित उद्योगों' का अभिप्राय पाटनरोधी करार अथवा अधिनियम और नियमावली में भी नहीं दिया गया है। तथापि, पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव रहा है जिसमें उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के अभिप्राय की कुछ स्पष्टता दी गई है। तथापि, उसे सदस्यों द्वारा अभी तक नहीं अपनाया गया है। अतः, इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता।
61. उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकारी ने किसी उद्योग की स्थापना से संबंधित अन्य निर्णयों में परिपाटी का विश्लेषण भी किया है। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 3.1 में, कोई उद्योग स्थापित किया गया है, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं है। अतः, जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसी किसी भी उपयुक्त पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो अवधारणाओं और विचारों पर आधारित हो। तथापि, ये विचार तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। इस विषय में उपलब्ध न्याय क्षेत्र के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी ने यह विश्लेषण किया है कि क्या घरेलू उद्योग एक स्थापित हो रहा (नया उद्योग) है अथवा एक स्थापित उद्योग है। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने निम्नलिखित जांच की है:
- क. डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह पाया है कि यदि उद्योग का उत्पादन विद्यमान उद्योग में केवल नए उत्पाद लाइन है तो वास्तविक मंदी का मामला नहीं हो सकता। तथापि, पैनल ने उस मात्रा की महता पर भी जोर दिया जिस तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के लिए एक नए विनिर्माण भवन, संयंत्र और मशीनरी स्थापित की थी और अक्टूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था। जैसा कि ऊपर नोट किया गया, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह टिप्पणी की है कि नई उत्पाद लाइन शुरू करना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसकी अपेक्षा उद्योग की विद्यमान अवसंरचना में अतिव्यापन की मात्रा महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का विनिर्माण करने वाले विद्यमान संयंत्र के साथ-साथ एक नया संयंत्र संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया है और एक कच्ची सामग्री के रूप में जिप्सम प्लास्टर बोर्ड लेकर यह एक नई उत्पादन लाइन है। वर्तमान मामले में, अतिव्यापन कर रही अवसंरचना की मात्रा कम है और जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का उत्पादन करने वाले उद्योग की विद्यमान अवसंरचना तथा संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले नए संयंत्र, जो स्थापित किया गया है, के बीच महत्वपूर्ण नहीं है।

- ख. जहां तक प्रशासनिक कार्यों, बिक्री और विपणन, वितरण चैनल, आरएंडडी आदि में अतिव्यापन से संबंधित अनुरोधों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि इन कारकों में अतिव्यापन विद्यमान है, तथापि, संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया विशिष्ट है। प्राधिकारी ने आवेदक के इस तर्क को नोट किया है कि अतिव्यापन की कुछ मात्रा उद्योग को नया उद्योग होने से अलग नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य कि घरेलू उद्योग ने पृथक मशीनरी वाले एक नए संयंत्र की स्थापना की है और यहां तक कि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए भवन का एक हिस्सा पृथक भी है, की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि जिप्सम बोर्ड के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी उस मशीनरी से भिन्न है जो संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। संबद्ध सामानों के विनिर्माण में शामिल उत्पादन प्रक्रियाएं जिप्सम बोर्ड की उत्पादन प्रक्रिया से भिन्न हैं।
- ग. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक एक नया उद्योग नहीं है क्योंकि वे फरवरी, 2018 से इस उत्पाद का उत्पादन करते आ रहे हैं जो कि क्षति की अवधि से पहले है, रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अक्तूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।
- घ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि संबद्ध सामानों की विनिर्माण सुविधाओं में निवेश की गई राशि अन्य उत्पादों में कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि की तुलना में बहुत ही नगण्य है, यह नोट किया जाता है कि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का कार्य है न कि अन्य परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात।
- ड. जहां तक संबद्ध सामानों में जिप्सम बोर्ड से नगण्य मूल्य अभिवृद्धि से संबंधित अनुरोध का संबंध है, यह भी नोट किया जाता है कि मूल्य अभिवृद्धि काफी है।
- च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा और बिक्री में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह मानते हुए सुधार आने की उम्मीद है कि उसने हाल ही में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया है। उसके परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग धीरे धीरे सुधरा है। इस प्रकार, क्षति की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा अपने को बाजार में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मंदी शब्द का अर्थ है कि पाटित आयात नए उद्योग को उत्पादन की वाणिज्यिक स्थिरता तक पहुंचने के स्थान पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने से रोक रहे हैं जिससे वह पाटित आयातों के अभाव में संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार, यह जांच करने के लिए कि क्या आयातों ने उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी की है, संगत पहलू यह नहीं है कि क्या उद्योग ने कोई प्रगति दर्शाई है अथवा लाभ कमाए हैं बल्कि संगत पहलू यह है कि कैपेक्स रिपोर्ट में किए गए अनुमानों की तुलना में उसका निष्पादन क्या है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा तैयार की गई कैपेक्स रिपोर्ट में सूचित उसके अनुमानित निष्पादन के साथ घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना की है।
62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए, उसका विश्लेषण किया है। यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं, जबकि अन्य कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण से यथा-तथ्यतः उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान हो जाता है।

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

63. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और स्रोतों से आयातों की घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत परिभाषित की है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	51,880	49,857	45,375	38,610
ओमान से आयात	एमटी	0	473	1,086	2,872
कुल संबद्ध देशों से आयात	एमटी	51,880	50,329	46,461	41,482

अन्य देशों से आयात	एमटी	503	165	513	72
कुल आयात	एमटी	52,383	50,495	46,974	41,554
आयातों में हिस्सा					
संबद्ध देश	%	99%	100%	99%	100%
अन्य देश	%	1%	0%	1%	0%
आवेदक उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	0	0	100	336
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	93	95	97
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	101	94	82
अन्य देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	34	107	15
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	328

64. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष अर्थात् 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में मांग में आंशिक गिरावट आई है। तथापि, उसमें वर्ष 2019-20 और 20-21 की तुलना में वृद्धि हुई है।

ख. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि वे क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से वर्ष-वार आयात आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	51,880	50,329	46,461	41,482
अन्य देशों से आयात	एमटी	503	165	513	72
घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	298
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात की % मात्रा	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	30
भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	96	95	97
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	101	94	82

66. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा लगभग 100 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा भी बहुत अधिक है।

छ.3.1 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव।

67. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतें कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत हास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है।

क. कीमत कटौती

68. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना सभी निवल छूटों और करों की व्यापार की उसी सतर पर की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थी:

विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.	ओमान	संबद्ध देश
आयात मात्रा	एमटी	38,610	2,872	41,482
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	15,719	17,862	15,867
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	50-60	30-40	50-60
अनुमानित बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत (अनुमानित) (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	45-55	30-40	45-55

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और काफी कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार बिक्री कीमत की तुलना करने पर कीमत कटौती काफी सकारात्मक हुई है।
70. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि संबद्ध सामानों से निर्यातकों की इस आक्रामक कीमत के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री की मात्रा और बाजार हिस्सा बढ़ाने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, वे अपनी पूरी लागत वसूल करने में भी असमर्थ हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग काफी कीमत कटौती के कारण अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम नहीं है।

ख. कीमत हास/न्यूनीकरण

71. चूंकि घरेलू उद्योग एक नए स्तर पर है, अतः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का हास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत और बिक्री लागत से की है। निम्नलिखित तालिका उपर्युक्त कारकों में तुलना दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	पीओआई
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./एमटी	15,867
प्रवृत्ति		100
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
प्रवृत्ति		100
बिक्री कीमत रु./एमटी	रु./एमटी	***
प्रवृत्ति		100

72. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत, दोनों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग को लाभप्रद स्तरों पर अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने से रोक रही है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतें न्यूनीकृत और ह्रासयुक्त हैं।

छ.3.2 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग

74. उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2020-21	पीओआई	अनुमानित
क्षमता(एमटी)	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100
कुल उत्पादन (एमटी)	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
क्षमता उपयोग वार्षिकीकृत	%	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	336	373

75. यह नोट किया जाता है कि:

क. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जांच की अवधि में बढ़ी है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू किया।

ख. तथापि, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपने लक्षित अनुमानों को हासिल करने में समर्थ नहीं था।

ii. बाजार हिस्सा

76. तथाकथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	95	97
मांग में कुल घरेलू बिक्री का घरेलू उद्योग का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	330
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	94	82
मांग में अन्य देशों का % हिस्सा		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	107	15

77. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों का पूरी क्षति अवधि में भारत में बाजार का काफी हिस्सा है। चूंकि आरंभिक दो वर्षों में कोई उत्पादन नहीं था, अतः संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात पूरी मांग की पूर्ति कर रहे थे। यहां तक कि घरेलू उद्योग के उत्पादन आरंभ करने के बाद भी संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में काफी हिस्सा है।

iii. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

78. चूंकि घरेलू उद्योग एक आरंभिक स्तर पर है, अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने अनुमानित लाभप्रदता की तुलना जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन से की है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूओएम	अनुमान	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90
बिक्री की कारखानागत लागत	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135
निवल बिक्री वसूली	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103
लाभ/हानि	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-57
लाभ/हानि	%	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-56
मूल्यहास	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96
नकद लाभ	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-43
ब्याज लागत	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111
नियोजित पूंजी	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100
नियोजित पूंजी पर आय	र./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-57

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमते लाभप्रद स्तर पर बढ़ाने में समर्थ नहीं था। यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री लागत बढ़ी जबकि बिक्री कीमत अनुमोदनों के अनुसार नहीं बढ़ी है।

80. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी मात्रा में प्रभावित हुई है क्योंकि उसमें अनुमानित लाभ की तुलना में हानियां हुई हैं। यहां तक कि नकद लाभ भी नकारात्मक है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार इस स्थिति के कारण विभिन्न स्थानों पर विस्तार योजना रोक दी गई थी।

vi. मालसूची

81. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	पीओआई
आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***
अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***
औसत स्टॉक	एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	231

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची जांच की अवधि में बढ़ी है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने मालसूची इकट्ठा होने से बचने और मालसूची की वहन लागत को कम से कम करने के लिए आरंभिक वर्षों में कम क्षमता उपयोग पर अनुमान रखे हैं। तथापि, पाटित और गैर-लाभदायी आयातों के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची जांच की अवधि में दुगुनी हो गई।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

83. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है:

विवरण	यूनिट	2020-21	पीओआई	अनुमान
कर्मचारी	सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	134
प्रति दिन उत्पादकता	सं./एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
मजदूरी	रु./सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	177

84. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

- क. पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता बढ़ी है।
- ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या जांच की अवधि के दौरान आंशिक रूप से बढ़ी।

vi. पाटन की मात्रा

85. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस सीमा तक भारत में पाटित किए जा रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति पहुंचाने की संभावना है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारत में पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन की मात्रा सकारात्मक है, न्यूनतम सीमाओं से अधिक है तथा काफी भी है।

vii. वृद्धि

86. रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि मात्रा तथा कीमत मानदंडों में वृद्धि अनुमानों से तुलना करने के संदर्भ में बहुत कम है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

87. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक हानियां हो रही हैं और नियोजित पूंजी पर आय भी अनुमानित सकारात्मक लाभ और आय की तुलना में काफी नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, बाजार हिस्सा भी काफी कम है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की नए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता संबद्ध आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

88. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर ज्ञात कारकों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई है, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में जो कारक संगत हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

क. अन्य स्रोतों से आयात

89. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य स्रोतों से संबद्ध सामानों का आयात न्यूनतम से कम है।

ख. मांग में संकुचन

90. आधार वर्ष के संबंध में मांग में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए 2019-20 और 2020-21 की तुलना में मांग बढ़ी है। जांच के दौर में मांग बढ़ी है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

91. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।
घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा
92. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सके।
ड. प्रौद्योगिकी में विकास
93. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।
च. निर्यात निष्पादन
94. घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर रहा है। अतः हुई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण ही है।
छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन
95. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।
96. इस प्रकार, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन किए गए आयात के कारण क्षति हुई है।

I. क्षति मार्जिन की मात्रा/कम कीमत पर बिक्री

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन परिकलित करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को नहीं लगाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और वह अपनाई जा रही है।
98. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका/कम कीमत पर बिक्री

क्र.सं.	देश	विवरण	एनआईपी	एलवी	आईएम		आईएम रेंज
			अ.डा./ एमटी	अ.डा./ एमटी	अ.डा./ एमटी	%	%
1	चीन	ड्रीमब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगी) कं., (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	0-10
2		शिजियांगहुआंग डियान यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20
3		अन्य कोई	***	***	***	***	10-20
4	ओमान	ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी (उत्पादक/निर्यातक) ओमान	***	***	***	***	20-30
5		अन्य कोई	***	***	***	***	50-60

99. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए सहयोगी उत्पादकों तथा सभी संबद्ध देशों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

100. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उत्पादकों की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजनों सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से हो रही क्षति समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
101. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों से संबंधित रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की।
102. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित, वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बनी नई स्थिति में समायोजन बढ़ाने वाले अथवा विलंब करने वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।
103. यहां तक यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और यह बताने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एक परिपत्र निर्धारित किया था। यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने कोई संगत सूचना नहीं दी। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा और उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को स्वयं स्थापित होने के लिए वैध संरक्षण प्राप्त होगा।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

104. प्राधिकारी ने 20.09.2023 को प्रकटन विवरण जारी किया था जिसमें जांच में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया था और उसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई गई थीं। प्रकटन संबंधी टिप्पणियों के अधिकांश मुद्दों को पहले ही उठाया गया है और उनका ऊपर उचित ढंग से समाधान किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों की संगत सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है:

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध:

- क. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के सामान्य मूल्य को अस्वीकार करना किसी कानूनी या वास्तविक आधार के बिना है। कंपनी ने पीयूसी की सूचना प्रदान की है जिसे प्रस्तुत विभिन्न परिशिष्टों से क्रास चेक किया जा सकता है। तथापि, गलत धारणा के आधार पर और निर्यातक को अवसर दिये बिना सूचना को अस्वीकार किया गया है। ग्लोबल जिप्सम ने पीयूसी के लिए लागत और कीमतों संबंधी समस्त आवश्यक सूचना प्रदान की थी। सामान्य मूल्य को अस्वीकार करने का निर्धारण मौके पर या डेस्क पर सत्यापन के बिना है और इसे स्पष्ट/बताने के लिए निर्यातक को अवसर नहीं देना। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- ख. ग्लोबल जिप्सम ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है और इसलिए प्राधिकारी उस सूचना पर उपलब्ध तथ्यों को लागू नहीं कर सकते हैं। यूएस - भारत के स्टील प्लेट मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल पर भरोसा किया गया है।
- ग. प्रकटन विवरण में यह प्रकट नहीं हुआ है कि कैसे विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए एक अलग सुविधा कैसे उसकी कच्ची सामग्री “जिप्सम प्लॉस्टर बोर्ड” के विनिर्माण की मौजूदा सुविधा के साथ-साथ स्थापित की गई, यह दर्शाता है कि एक नई उत्पाद लाइन के बजाय एक नया उद्योग स्थापित किया गया है। प्रकटन विवरण में उसकी मौजूदगी बताने के बजाय प्रशासनिक कार्यों के अतिव्यापन की “मात्रा” के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं।
- घ. (1) अनुसंधान सुविधाओं का अतिव्यापन है, क्योंकि याचिकाकर्ता विश्व भर में जिप्रेक्स के जरिये पीयूसी बेचता है और एक सहायक कंपनी के रूप में उत्पाद के लिए किसी शोध और अनुसंधान की जरूरत हो, कंपनी द्वारा वैश्विक रूप से पूरा किया जाता है; (2) उपभोक्ता और वितरण चैनल एक स्थापित ब्रांड के रूप में याचिकाकर्ता निविदा के जरिये और आवासीय प्रयोजनों के लिए होने वाली पीयूसी की दोनों जरूरतों को पूरा

- करने में सक्षम है। (3) ब्रांडिंग, विपणन, उपभोक्ता, वितरण चैनल, अनुसंधान, तकनीकी आंकड़ा शीट आदि क्योंकि आवेदक ने 2018 से पहले पीयूसी प्रदान करने और नई उत्पादन के जरिये उत्पाद को बेचने के लिए निविदाओं हेतु 2018 से पहले उत्पाद को बेचने के लिए जिप्रेक्स ब्रांड नाम का प्रयोग किया है। प्रकटन विवरण में उन कारकों को नहीं बताया गया है जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि एक अलग ग्राहक नेटवर्क और वितरण चैनल मौजूद है जो यह बता सकता है कि यह एक नया उद्योग है।
- ड. उत्पादन प्रक्रिया की भिन्नता के साथ विश्व भर में भारत से सेरामिक टाइलों में शुरू की गई जांचों पर यह मानने के लिए भरोसा किया गया है कि उत्पाद को केवल लैमिनेट करने के लिए अलग सुविधा होना पीयूसी को एक नया उत्पाद नहीं बनाएगा बल्कि वह इसे केवल एक अलग प्रकार का जिप्सम उत्पाद बनाएगा।
- च. एसडीएच उपकरण यथा प्रदत्त “उत्पादन” के अर्थ के अनुसार भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, कार्य और प्रयोग, उपभोक्ता की धारणा और सीमा शुल्क वर्गीकरण के रूप में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ये लैमिनेटेड जिप्सम बोर्ड के लिए अधिकांशतः समान रहे हैं और इसकी कच्ची सामग्री “अन-लैमिनेटेड जिप्सम बोर्ड” रही है।
- छ. यद्यपि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का एक फंक्शन होता है, ऐसा निवेश वहां भी अपेक्षित होता है जहां कंपनी कोई नई उत्पाद लाइन शुरू करती है। प्रकटन विवरण में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि सेंट गोबेन द्वारा पीयूसी के लिए किये गये निवेश क्यों एक नई उत्पाद लाइन के बजाय एक नया उद्योग थे या क्या किये गये निवेश को “वास्तविक और पर्याप्त” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिवादियों ने पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव पर भरोसा किया है जो “वास्तविक मंदा” और “अस्थापित उद्योगों” के अर्थ को स्पष्ट करता है।
- ज. आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत मूल्यवर्धन का दावा केवल मौखिक सुनवाई में किया गया था। लिखित में नहीं दिया गया। अतः प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार इस सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रकटन विवरण में यह जांच करते समय विचार की गई सूचना का सार्थक विश्लेषण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त मूल्यवर्धन किया है। मूल्यवर्धन का अर्थ समुद्री के मूल्य में परिवर्तन है। प्रतिवादी दृढ़ता से मानते हैं कि कथित मूल्यवर्धन खरीदी गई कच्ची सामग्री के वर्धन के दावे के रूप में किया गया है। प्रतिवादी मजबूती से मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने मूल्यवर्धन निर्धारित करने के लिए जिप्सम पाउडर पर विचार किया है। सीपीवीसी के मामले में जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है जिसमें रेजिन और यौगिक को एनआईपी में भारी अंतर के बावजूद समान उत्पाद के रूप में माना गया था।
- झ. आयातों का हिस्सा सेंट गोबेन के पक्ष में घट रहा है जिससे एकाधिकार और परिणामी शोषण के कीमत निर्धारण का जोखिम है। कीमत में पीओआई के बाद की वृद्धि इसका एक संकेत है।
- ञ. प्रकटन विवरण में यथा प्रस्तावित क्षति मार्जिन जहां तक अवशिष्ट मार्जिन का संबंध है, असंभव है। इस प्रकार क्षति मार्जिन की गणनाओं में कोई न कोई त्रुटि है।
- ट. आवेदक ने यह दावा करना जारी रखा है कि एशियाटिक जिप्सम और फोरलाइन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड ने अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर दिया है। प्रतिवादियों को जानकारी नहीं है कि क्या “इस सूचना” को रिकार्ड में रखा गया और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है क्योंकि प्रकटन विवरण में इस संबंध में, कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसे रिकार्ड में रखा गया है, को प्राधिकारी उसे शेयर करने का अनुरोध करते हैं और उस पर टिप्पणी करने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- ठ. यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क को केवल एक स्थिर राशि पाटनरोधी शुल्क (शुल्क का स्थिर रूप) के रूप में पाटनरोधी शुल्क यूएस डॉलर में / एमटी शुल्क के रूप में लगाया जाए। शुल्क का बेंचमार्क रूप अनुचित होगा, क्योंकि मालभाड़ा पहुंच कीमत का एक बड़ा हिस्सा है जो कोविड के दौरान असाधारण रूप से अधिक था। रिकार्ड में उत्तर यह दर्शाएगा कि सामान्य मालभाड़ा लागत 30-40 अमेरिकी डॉलर / एमटी है जबकि पीओआई के दौरान औसत मालभाड़ा लागत 120 अमेरिकी डॉलर / एमटी थी। इसे अवितरित कीमत (भाड़े के कारण विकृति) ज्ञात करने के लिए निर्यात कीमत से घटाना चाहिए। विनमय दर उतार-चढ़ाव के कारण मूल्य के अनुसार शुल्क निष्प्रभावी होगा।
- ड. भारत ने शुरुआत से पहले आशय पत्र जारी न करके पाटनरोधी समझौता के अनुच्छेद 5.5 की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
- ढ. भारतीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल जांच के तहत उत्पाद पर ही शुल्क लगेगा, किसी अन्य उत्पाद पर नहीं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात का उपयोग केवल विश्लेषण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
- ण. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रदान किया गया समय बहुत कम है। इसके अलावा, यह सीमित अवधि इच्छुक पार्टियों को अपने विचार व्यापक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है और विविध दृष्टिकोणों के प्रतिनिधित्व में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- त. ओमान से आयात न्यूनतम हो गया है और इसके अलावा, ओमान के निर्यातकों ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात बंद कर दिया है। इसलिए, घरेलू उद्योग को कोई भी चोट चीन के कारण है।
- थ. ओमान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण पाटनरोधी समझौता के अनुच्छेद 2.2 के साथ असंगत है। इस मामले में, ओमान सरकार ने प्राधिकरण से ओमान के भीतर बिक्री मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए सामान्य मूल्य को समायोजित करने के लिए उपयोग किए गए डेटा और गणना का खुलासा करने का अनुरोध किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन संशोधनों का उद्देश्य ओमान के लिए सामान्य मूल्य में वृद्धि करना नहीं है।
- द. प्राधिकरण को यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, बाजार की स्थितियों और अन्य घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए थी। इसके अलावा, प्राधिकरण को यह जांचना चाहिए कि क्या आवेदक उद्योग का उत्पादन 50% या उससे कम है। इसके अलावा, डीजीटीआर ने यह भी जांच नहीं की है कि घरेलू उद्योग द्वारा/या उसकी ओर से किया गया आवेदन उत्पादकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत द्वारा समर्थित है या नहीं।
- ध. सादे जिप्सम बोर्ड और पीयूसी दोनों का उपयोग छत के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और उस सीमा तक समान कार्य करते हैं। भले ही लेमिनेटेड बोर्ड को व्यावसायिक सुविधाओं पर अधिक पसंद किया जाता है जबकि सादे बोर्ड को आवासीय या औद्योगिक छत पर अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि दोनों के कार्य और उपयोग समान हैं।
- न. अनुरोध है कि प्राधिकरण स्पष्ट करे कि खनिज फाइबर ध्वनि अवशोषण शीट या खनिज फाइबर बोर्ड वर्तमान जांच में पीयूसी का हिस्सा नहीं हैं। इस तरह का स्पष्टीकरण आवश्यक है क्योंकि खनिज फाइबर ध्वनि अवशोषण शीट और पीयूसी में एक सामान्य एचएस वर्गीकरण कोड होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, दोनों उत्पादों में अलग-अलग कच्चे माल, अलग-अलग उत्पाद खंड, अलग-अलग बाजार मांग और यहां तक कि उपयोगकर्ताओं द्वारा दोनों उत्पादों का उपयोग करने का उद्देश्य भी अलग-अलग है।

घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध:

105. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. यह कि निर्यातकों ने प्राधिकारी को भी महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी है और इसके बावजूद प्राधिकारी ने उनके उत्तर को अस्वीकृत करने के बजाय उन्हें अलग शुल्क प्रदान करके पुरस्कृत करने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अलावा, अनिवार्य सूचना पर गोपनीयता ने घरेलू उद्योग को उस पर टिप्पणी करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में प्राधिकारी की मदद करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। घरेलू उद्योग से अपने उत्तर को पूरा करने के संबंध में निर्यातकों के साथ समस्त पत्राचार की प्रतियां देने का अनुरोध भी किया गया है।
- ख. यह कि अधूरे उत्तर को स्वीकार करने से एक बहुत ही खराब और अकार्यशील पूर्व उदाहरण बनेगा जिसमें निर्यातक यह निर्णय लेंगे कि कौनसी सूचना दी जाए और कौन सी नहीं दी जाए। इसके अलावा, प्राधिकारी को अन्य मामलों में जो उनके सामने आते हैं, इस वर्तमान मामले में अपनाई गई नीति का पालन करना काफी मुश्किल होगा। अतः निर्यातकों के उत्तरों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ग. यह कि जीजीबीसी द्वारा दायर उत्तर को प्राधिकारी को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपेक्षित सूचना देने में विफल रहे हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि निर्यातक ने जानबूझकर लागत निर्धारण की सूचना प्रदान नहीं की है, क्योंकि वे एसक्यूएम से एमटी में वास्तविक परिवर्तन अनुपात को छिपाना चाहते हैं और उस वास्तविक कीमत को भी छिपाना चाहते हैं, जिस पर वे प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् अपरिष्कृत जिप्सम को खरीद रहे हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने थाईलैंड से बसों और लोरियों के लिए रबड़ के नये न्यूमेटिक रेडियल टायरों, ट्यूब या/फ्लैप सहित अथवा रहित के मामले में सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं करने पर थाईलैंड के निर्यातकों को अस्वीकृत कर दिया था।
- घ. डीम ब्रांड न्यू मैटेरियल्स (पिंग्यी) कंपनी लिमिटेड और शिजियाहुआंग डियान यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (उत्पादक और निर्यातक) ने विहत प्रपत्रों के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की है। चूंकि चीन से निर्यातकों ने प्राधिकारी से किसी छूट की मांग भी नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार उनके उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस स्वीकृति से गड़बड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि निर्यातक उस सूचना का चयन करेंगे जो उनके लिये सर्वाधिक उपयुक्त हो।
- ड. दोहरी कीमतों की मौजूदगी और वे कैसे सामान्य मूल्य गणनाओं को प्रभावित कर रही हैं, के संबंध में, प्रकटन विवरण के पैरा 34 में प्राधिकारी की संसुक्ति के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि एक घरेलू उद्योग ने प्रथमदृष्ट्या प्रशासित कीमतों का साक्ष्य (अपरिष्कृत जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत 12.5 अमेरिकी डॉलर / एमटी है) प्रस्तुत किया है। इसलिए उसका खंडन करने का दायित्व ओमान की सरकार और निर्यातक का होगा। हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार न तो ओमान की सरकार और न ही वहां के निर्यातकों ने संगत सूचना देने का कष्ट किया है। इसके अलावा, जीजीबीसी से पूर्ण सहयोग के अभाव में प्राधिकारी को घरेलू

उद्योग के खंडन नहीं किये गये दावों को स्वीकार करना चाहिए था और 12.5 अमेरिकी डालर / एमटी जिप्सम के रूप में जिप्सम की कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए था। यह अनुरोध घरेलू उद्योग के उस अनुरोध के प्रति पक्षपात के बिना है कि ओमान से निर्यातक के प्रश्नावली के पूरे उत्तर को अस्वीकार किया जाए।

- च. किसी नये उद्योग से नये उत्पाद के मुद्दे के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादी पक्षकार यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि यह नया उत्पाद कब अस्तित्व में आया है। “नये उत्पाद” या “विनिर्माण” शब्द को पाटनरोधी कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) “घरेलू उद्योग” शब्द को परिभाषित करते समय ऐसे घरेलू उत्पादकों का उल्लेख करता है जो समान उत्पाद के “विनिर्माण” में शामिल हैं। यह नोट करना संगत है कि “विनिर्माण” शब्द को नियमावली में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें पूरी जानकारी है कि किसी अन्य संविधी की परिभाषा को दूसरी संविधी में वस्तुतः नहीं लिया जा सकता है। पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ समान सिद्धांतों को अपनाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि पाटनरोधी कानूनों में परिभाषा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 2(च) की परिभाषा के समान है। दोनों कानूनों में “विनिर्माण” की परिभाषा समावेशी परिभाषा है जिसमें शब्द को वास्तव में परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य कि क्या नया उत्पाद उभरा है या नहीं। इसे उपलब्ध न्यायशास्त्र के संदर्भ में निर्धारित करना होगा। घरेलू उद्योग द्वारा किये गये कार्यकलाप माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधारणा के अवयवों के पूर्णतः अनुक्रम में हैं।
- छ. “अतिव्यापन” के मापदंड के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में कथित “अतिव्यापन” न्यूनतम है जो अतिरिक्त, विपणन आदि के कारण आई लागतों तक सीमित है। इसके अलावा, कोई एक मशीन भी नहीं है जो संबद्ध वस्तु और उसकी कच्ची सामग्री के उत्पादन में समान रहती हो।
- ज. सुविधाओं, विपणन और वितरण चैनल तथा उपभोक्ता संपर्क और मानव संसाधन विभाग के अतिव्यापन के संबंध में यह दोहराया जाता है कि ऐसा अतिव्यापन संगत नहीं है और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के दावे से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- झ. मूल्यवर्धन मापदंड के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया कि मूल्यवर्धन को केवल एक सीमित प्रयोजन के लिए शामिल किया गया है और इस सिद्धांत या संख्यात्मक मापदंड को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसी कारणवश प्राधिकारी ने इस मापदंड का कभी भी प्रयोग नहीं किया है जो वास्तविक मंदी के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ बिल्कुल अलग है।
- ञ. यह अनुरोध किया गया है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि पर्याप्त भी हैं। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से आयातों के कारण क्षति हो रही है।
- ट. अनुरोध है कि संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा की दोबारा जांच की जाए। उनकी याचिका के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण विवरण में उपयोग किए गए आयात डेटा के बीच आयात मात्रा में अंतर है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध पुरावृत्ति के हैं और उन्हें यहां ऊपर पहले ही हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जहां तक संगत हैं और कहीं अन्यत्र हल नहीं किए गए हैं, उनकी जांच नीचे की गई है :

- क. जहां तक एडीए के अनुच्छेद 5.5 के उल्लंघन के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि डी जी टी आर ने जांच की शुरुआत के पूर्व आवेदन पत्र की प्रापित के संबंध में ओमान के दूतावास को विधिवत सूचित किया है। अतः एडीए के अनुच्छेद 5.5 का कोई उल्लंघन नहीं है।
- ख. जहां तक शुल्कों के लागू होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि केवल विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों के अध्याधीन होगा, जिसमें एचएस वर्गीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार गैर संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा, यदि वे विचाराधीन उत्पाद के एच एस कोड के तहत आ रहे हैं।
- ग. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां करने के लिए दिए गए समय के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी समय विस्तार का अनुरोध नहीं किया था।
- घ. ओमान से आयात डी जी टी आर के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक ओमान से संबद्ध सामानों के निर्यात को रोकने का संबंध है, यह सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े/साक्ष्य/शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है कि ओमान से संबद्ध सामानों का कोई निर्यात नहीं होगा और इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- ड. जहां तक ओमान से सामान्य मूल्य संबंधी सूचना के प्रकटन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि ओमान के निर्यातक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना को रद्द किया है और उपलब्ध तथ्य लागू किए हैं।
- च. जहां तक जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक का पात्र घरेलू उद्योग होने के संबंध में ओमान सरकार के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आधार और उसे हुई क्षति पर अंतिम जांच परिणाम के उपयुक्त खंडों में पर्याप्त रूप से कार्यवाही की है।
- छ. इस दलील के संबंध में कि ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के सामान्य मूल्य की अस्वीकृति बिना किसी कानूनी आधार के है, और घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत कई मामलों में, प्राधिकरण नोट करता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें पिछले मामलों में निर्धारित की गई हैं। एंटी-डंपिंग नियमों और एंटी-डंपिंग पर समझौते के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। इस विशेष मामले में भी, प्राधिकरण ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच की है, और उन्हें प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया है जो उनके जवाब में प्रदान नहीं की गई थी, प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण इस पर विचार करता है। उचित है कि निर्यात मूल्य के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया जा सकता है जबकि कंपनी द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में दी गई जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सामान्य मूल्य स्वीकार करने का निर्यातक का तर्क खारिज किया जाता है। प्राधिकरण का मानना है कि यह दोनों पक्षों द्वारा सामने रखे गए परस्पर विरोधी दावों को संतुलन प्रदान करता है।
- ज. दोहरे कीमत निर्धारण और विशेष बाजार स्थिति के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत अनुरोधों पर इस जांच परिणाम के उपयुक्त खंडों में पहले ही कार्यवाही कर दी गई है।
- झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन मुद्दों पर इस जांच अपरिणाम के उपयुक्त खंडों में पहले ही कार्यवाही कर दी गई है। चूंकि भारत को निर्यातों से संबंधित सूचना पूर्ण है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित है, अतः प्राधिकारी ने व्यक्तिगत मार्जिन के प्रयोजन के लिए उनकी निर्यात कीमत स्वीकार की है।
- ञ. परिवर्तन मानदंडों और निर्यात कीमत की तुलना में उच्चतर पहुंच मूल्य के संबंध में यह अनुरोध है कि जांच की अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा सामान्य स्थिति की तुलना में काफी अधिक था। इस उच्चतर भाड़े के परिणामस्वरूप उच्चतर पहुंच मूल्य बना। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और केवल सत्यापित आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है। अतः किसी पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।
- ट. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण गलत ढंग से यह निर्धारित करता है कि विचाराधीन उत्पाद एक नया उत्पाद और नया उद्योग है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के दावों पर जांच परिणाम में उपयुक्त स्थान पर विस्तार से कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जांच प्रक्रिया के दौरान यह सिद्ध किया है कि संबद्ध सामान नए उद्योग के सभी मानदंड पूरे करते हैं और यह कि उद्योग की स्थापना को पाटित और क्षति कारक आयातों के कारण वास्तविक रूप से मंदी हुई है।
- ठ. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि काफी मूल्य अभिवृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे असिद्ध रहते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग के लागत और अन्य व्ययों का पहले ही सत्यापन किया है जो उन दावों को सिद्ध करते हैं। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने केवल मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत का आरोप लगाया है। तथापि, उनमें से किसी ने भी मूल्य अभिवृद्धि के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए पूरी लागत संबंधी सूचना नहीं दी है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन पत्र में पूरी लागत संबंधी सूचना दायर की गई थी और प्राधिकारी द्वारा उस पर निष्कर्ष निकालते समय विचार किया गया है।
- ड. जांच की अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि से संबंधित तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में पहली बार किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में दिए गए आंकड़ों का स्रोत हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दिया गया है। यह विचार करते हुए कि अनुरोध देरी से किया गया है और यह कि आवेदक इस तर्क का खंडन करने के लिए मौका नहीं पाएगा, प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि यह जांच को उचित रखने के लिए प्राधिकारी के प्रयासों के विरुद्ध जाएगा।
- ढ. जहां तक असहयोगी निर्यातकों की आयात मात्रा और क्षति मार्जिन से संबंधित अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक संगत परिकलनों की पुनः जांच की है और अंतिम जांच परिणामों पर आवश्यक समायोजन करने के बाद ही पहुंचे हैं।

- ण. जहां तक आवेदक के आधार से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत अनुरोधों पर इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थान पर पहले ही कार्रवाई कर दी गई है।
- त. जहां तक शुल्क का निर्धारित रूप लगाए जाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के तर्क को स्वीकार करते हैं और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से शुल्क के निर्धारित रूप की सिफारिश कर रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

107. उठाए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :
- क. विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारतमें निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।
- ख. संबद्ध सामानों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप में मंदी हुई है। संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की मात्रा पूर्ण रूप से और संबद्ध दृष्टि से भारत में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद भी अधिक रही है। आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की वास्तविक और लक्ष्य कीमतों से कम हैं जिससे कीमत न्यूनीकरण हुआ है। वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग अपना लक्ष्य निष्पादन हासिल नहीं कर पाएगा। घरेलू उद्योग उस सीमा तक उत्पाद का उत्पादन करने में समर्थ नहीं रहा है जिस सीमा तक वह कर सकता था। इसके अतिरिक्त, देश में उत्पाद के लिए काफी मांग के बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमित मात्रा तक भी बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और उसने अंतिम मालसूचियों में काफी वृद्धि देखी है। घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही है।
- ग. भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना का वास्तविक मंदी संबद्ध देशों से संबद्ध पाटित आयातों के कारण है।
- घ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से और वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर उपभोक्ताओं अथवा निचले स्तर के उद्योग अथवा कुल मिलाकर जनता पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।
- ड. हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और पाटन को दूर करने और परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
109. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क नियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	68069000/	कम से कम एक ओर से	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	ड्रीम ब्रांड न्यू मेटीरियल्स (पिंगयी)	23.46	मी.ट.	अम.डॉ.

	68080000/ 68091100/ 68091900/ 68099000/ 70195900/ 73083000	लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें			कं. लिमिटेड			
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शिजियाहुआंग डीयान यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड	35.68	मी.ट.	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित अन्य देश	उपरोक्त क्र.सं. (1) से(2)में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	47.62	मी.ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	संबद्ध देश के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई भी	47.62	मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	ओमान	ओमान	ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी	71.80	मी.ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	ओमान	ओमान सहित कोई देश	उपरोक्त क्र.सं. 5 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	91.42	मी.ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	संबद्ध देश के अलावा अन्य कोई देश	ओमान	कोई भी	91.42	मी.ट.	अम.डॉ.

आगे की प्रक्रिया

110. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 29th September, 2023

(Case No. AD (OI) -11/2022)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side” originating in or exported from China PR and Oman.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/11/2022 –DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof:

1. Whereas, M/s. Saint-Gobain India Private Limited, (hereinafter also referred to as the “Applicant” or the “domestic industry” or the “DI”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act for the imposition of Anti-dumping duty on imports of “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or the “PUC”) from China PR and Oman (hereinafter also referred to as the “subject countries”) and has requested for imposition of anti-dumping duty.
2. And, whereas the Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. **6/11/2022–DGTR** dated **30.09.2022**, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicant on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side from the subject countries.
 - b) The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - c) The Authority issued a public notice dated 30th September 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - d) The Authority sent a copy of the initiation notification and a copy of the non-confidential version of the application to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as the other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e) The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - f) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - (i) Global Gypsum Board CO LLC
 - (ii) Dream Brand New Material (Pingyi) Co Ltd
 - (iii) Linyi Excel Import & Export
 - (iv) Zonmay Building Materials Co., Ltd.
 - (v) Shijiazhuang Dian Yu Import and Export Co., Limited
 - g) The Exporter’s questionnaire has been filed by the following exporters/producers from the subject countries:
 - (i) Global Gypsum Board CO LLC
 - (ii) Dream Brand New Material (Pingyi) Co Ltd
 - (iii) Zonmay Building Materials Co., Ltd & Linyi Excel Import & Export
 - (iv) Shijiazhuang Dian Yu Import and Export Co., Limited
 - h) The Authority sent Importer’s Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - (i) Kingston Multi Products India (P) Ltd.

- (ii) R K Ceiling (P) Ltd
- (iii) C0omplete Ceilings Interior Products Private Limited
- (iv) Diamond International Inex Pvt Ltd
- (v) Gypexim Pvt Ltd
- (vi) MDG Impex Pvt Ltd
- (vii) Sam Gypsum Private Limited
- (viii) Universal Enterprises.
- (ix) Varni Aluminium.
- (x) A to Z Ceiling Products
- (xi) Shree Meenakshi Marketing
- (xii) Natural Stone Industries
- (xiii) Shree Saibaba Impex
- (xiv) Vikash Trading Company
- (xv) Adorn
- (xvi) Jojo Enterprises
- (xvii) Thaker Brothers
- (xviii) Todi Plywoods
- (xix) Preksha Interiors Pvt. Ltd
- (xx) Royal Enterprise
- (xxi) Rockstrenght World Industries Pvt Ltd
- (xxii) Under the Roof
- (xxiii) Shree Baalaji Traders
- (xxiv) Aerotex Ceiling System
- (xxv) Bright Interiors
- (xxvi) Knauf Ceiling Solutions (India) Private Limited
- (xxvii) Knauf India Private Limited

i) The following importers have responded to the initiation notification:

- (i) Kingston Multi Products India (P) Ltd.
- (ii) R K Ceiling (P) Ltd
- (iii) Complete Ceilings Interior Products Private Limited
- (iv) Diamond International Inex Pvt. Ltd.
- (v) Gypexim Pvt. Ltd.
- (vi) MDG Impex Pvt. Ltd.
- (vii) Sam Gypsum Private Limited
- (viii) Universal Enterprises
- (ix) Varni Aluminium
- (x) A to Z Ceiling Products
- (xi) Shree Meenakshi Marketing
- (xii) Natural Stone Industries
- (xiii) Shree Saibaba Impex
- (xiv) Vikash Trading Company
- (xv) Adorn
- (xvi) Jojo Enterprises
- (xvii) Thaker Brothers
- (xviii) Todi Plywoods
- (xix) Preksha Interiors Pvt. Ltd.
- (xx) Royal Enterprise
- (xxi) Rockstrength World Industries Pvt. Ltd.
- (xxii) Under the Roof
- (xxiii) Shree Baalaji Traders
- (xxiv) Aerotex Ceiling System
- (xxv) Bright Interiors
- (xxvi) Knauf Ceiling Solutions (India) Private Limited
- (xxvii) Knauf India Private Limited

j) It is also noted that out of the above importers following have responded to the importer's questionnaire response:

- i. Sam Gypsum Private Limited
- ii. Vikas Trading Company
- iii. R K Ceilings Private Limited
- iv. Diamond International Inex Pvt Ltd

- v. Complete Ceiling Interior Products Pvt. Ltd.
- vi. Adorn
- vii. Knauf Ceiling Solutions (India) Private Limited
- k) The Authority made available a non-confidential version of the evidence presented /submissions made by various interested parties through emails to all other interested parties.
- l) A request was made to the DG Systems data to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the same for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- m) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- n) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the domestic industry was carried out at their plant located at Jhagadia, Gujarat. The verification of the information provided by the exporters was carried out by the Authority to the extent deemed necessary. The Authority issues this final findings relying on such information.
- o) The period of investigation (hereinafter the “POI”) for the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury period under investigation, covered periods from April 2018 to March 2019, April 2019 to March 2020, April 2020 to March 2021, and the POI.
- p) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- q) Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed.
- r) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- s) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided the opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 5th July 2023. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- t) *** in these final findings represent information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 20.09.2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- v) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = 75.34.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

4. *The product under consideration in the present application is “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side”. Typically, PVC, Wax Paper and other similar materials are used for lamination on one side.*

Materials such as Metalized Polyester Film are used for lamination on the other side essentially to prevent moisture.

5. The subject goods are environment friendly, lightweight, high-quality decorative ceiling tiles that are also fire resistant. The subject goods are predominantly used for ceilings in auditoriums, conference rooms & educational institutes, offices, boutiques, shops, commercial and residential buildings, etc. The subject goods are also known as PVC Gypsum Tiles, Gypsum Ceiling Tiles, Ceiling tiles etc. PVC laminated gypsum ceiling tiles are strong and long-lasting.

6. The applicant has submitted that the product under consideration is classified under Chapter 68, under sub-headings 68069000, 68080000, 6809110, 68091900 and 68099000 of the Customs Tariff Act 1975. However, the applicant has claimed that some imports are also made under custom tariff heading 70195900 and 73083000. The custom classification is indicative only, and in no way, it is binding upon the product scope.

C.1. Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

5. The submissions made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. Clarification is required on whether mineral fiber sound-absorbing sheets are covered by the present initiation or not.
 - b. Product under consideration includes only ceiling tiles made up of gypsum boards and have lamination on at least one side.
 - c. The Government of Sultanate of Oman has urged the Authority to exclude HS code 68091100 from the scope of PUC since it is not only related to gypsum board one side laminated / ceiling tiles. The same HS code has different gypsum products which could create a misleading picture of the import and injury analysis.

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. The product under consideration in the present application is “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side”. Typically, PVC, Wax Paper and other similar materials are used for lamination on one side. Materials such as metalized polyester film are used for lamination on the other side essentially to prevent moisture. The subject goods are also known as PVC Gypsum Tiles, Gypsum Ceiling Tiles, Ceiling tiles etc. PVC laminated gypsum ceiling tiles are strong and long-lasting.
 - b. The subject goods are environment friendly, lightweight, high-quality decorative ceiling tiles that are also fire resistant. The subject goods are predominantly used for ceilings in auditoriums, conference rooms & educational institutes, offices, boutiques, shops, commercial and residential buildings, etc.
 - c. One of the interested parties had filed submissions regarding the need for further clarification of the product scope. In this context, it is submitted that the said clarification is not called for, as the product under consideration only considered the subject goods produced out of gypsum and no other materials.
 - d. It is also clarified that the subject goods do not include non-laminated gypsum boards. Further, perforated tiles and other types of tiles not made from gypsum only are outside the purview of the product under consideration and investigation. Since the above tiles are not part of the product under consideration, no comments or clarification can be made about their exclusion from the scope of the product under consideration.
 - e. It is submitted that goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as a ‘like article’ under the Rules.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration for the present investigation is “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side”. The subject goods are also known as PVC Gypsum Tiles, Gypsum Ceiling Tiles, Ceiling Tiles, etc. Typically, PVC, Wax Paper and other similar materials are used for lamination on one side. The subject goods are environment friendly, lightweight, high-quality decorative ceiling tiles that are also fire resistant. The subject goods are predominantly used for ceilings in auditoriums, conference rooms & educational institutes, offices, boutiques, shops, commercial and residential buildings, etc.



8. The subject goods are classified under chapter heading 68. The product under consideration is classified under Chapter 68, under sub-headings 68069000, 68080000, 68091100, 68091900 and 68099000 of the Customs Tariff Act 1975. However, the applicant has claimed that some imports are also made under custom tariff headings 70195900 and 73083000. The customs classification, however, is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.
9. In relation to the request for clarification related to mineral fiber boards, it is noted that the subject goods defined by the domestic industry clearly state that the product under consideration does not include non-laminated gypsum boards. Further, perforated tiles and other types of tiles not made from gypsum are outside the purview of the product under consideration and investigation.
10. As per Rule 2 (d) of the Rules relating to the definition of “like article”, it is specified that “like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
11. On the basis of information on record, the Authority notes that there is no known difference in the product under consideration exported from the subject countries and the product produced by the Indian domestic industry. The product under consideration produced by the Indian domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
12. In relation to the request of the Government of Sultanate of Oman regarding the exclusion of HS code 68091100 from the scope of PUC, it is noted that customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation. The determination of the duty shall be made as per the description of PUC. Therefore, goods other than the product under consideration, even if imported under the HS code 68091100, will not attract duties.
13. Thus, the Authority determines that the product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration imported from the subject countries in accordance with the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1. Submissions made by the other interested parties**

14. The following submissions have been made by the interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
- There are two more producers of the subject goods in India, namely Gyptech Systems Pvt. Ltd. and Indian Gypsum Pvt. Ltd., who are producing the subject goods prior to the period when the applicant started the production of the subject goods. Therefore, the applicant industry cannot be said to be the sole producer of the subject goods.
 - It is submitted that since other producers named by the applicant were there in existence during POI, the fact that they have not approached the Authority to address injury, proves that they are not suffering any injury.
 - It is submitted that there are multiple producers of the subject goods in India and therefore, the domestic industry cannot claim themselves to be a sole producer of the subject goods. The applicant has even failed to constitute a domestic industry under Rule 2(b) and standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

D.2. Submissions made by the domestic industry

15. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of the domestic industry & standing are as follows:
- The present application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. (SGIPL), which is the sole producer of the product under consideration in India during the period of investigation. It has been submitted that the domestic industry commenced production in their Jhagadia plant in October 2020.
 - It is further submitted that apart from SGIPL, there are two other producers of the subject goods namely Asiatic Gypsum and Fourline Gyplam. However, both the producers commenced their production post-POI. Moreover, as per the information available with the domestic industry, both producers have temporarily stopped production due to aggressive dumping from the subject countries.
 - In relation to the existence of the other two producers of the subject goods, it is submitted that as per the information available with the domestic industry, both the producers are not producing the subject goods and are mere traders of the same. Further, Gyptech Systems Pvt. Ltd. is importing the subject goods from China.
 - The applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India and thus, constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b).

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2 (b) of the Rules defines the domestic industry as under:

“(b) ‘Domestic Industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘Domestic Industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. (SGIPL), who is the sole producer of the product under consideration in India during the period of investigation. It is also noted that they have started production of the subject goods at their Jhagadia plant in October 2020.
18. The domestic Industry has further submitted that post period of investigation, two other producers i.e Asiatic Gypsum and Fourline Gyplam had started production and have also temporarily shut down their operations. In this regard, the Authority sent communications to both the producers of the subject goods. However, no response was received from them.
19. Some of the interested parties have contended that Gyptech Systems Pvt. Ltd. and Indian Gypsum Pvt. Ltd. have been producing the subject goods before the domestic industry started commercial production. In this regard, the Authority has noted the submission of the domestic industry and sent written communications to both the companies requesting relevant information relating to their operations, production etc. for the subject goods. However, the Authority did not receive any communication from them. Therefore, there is no reliable information to ascertain whether both companies were producing the subject goods before/during the POI. Further, since the Authority has also not received any communication/letter opposing the contention of the applicant industry, the

Authority has considered the applicant industry as eligible to constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b), fulfilling the criteria for standing in terms of Rule 5(3).

20. The applicant producer has also certified that there are no imports of the product under consideration by the applicant or any of its related parties, post-commencement of the production. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India.
21. In view of the above, the Authority considers the applicant eligible to be considered as the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

22. The following submissions have been made by the interested parties with regard to confidentiality:
 - a. The present application suffers from excessive use of confidentiality and the applicant has denied access to many basic information under the garb of confidentiality.
 - b. Rule 7 does not in any manner mean that the domestic industry can provide minimal information; rather it casts a responsibility on the domestic industry to furnish summaries in sufficient detail so as to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted on a confidential basis.
 - c. The law states that if the Authority finds that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the Authority may disregard such information.

E.2. Submissions made by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - a. The applicant has followed the requirements mentioned under Trade Notice No. 10/2018 to the hilt and has provided all the information as required under the said Trade Notice. It is pertinent to note that while making bald accusations, the respondents have miserably failed to point out any material deviation from the requirements of Rule 7 read with the relevant Trade Notices.
 - b. That on directions of the Authority to revise non-confidential version of the application or provide reasons for claiming the confidentiality, the domestic industry has filed a revised non-confidential version of the application. However, no updated non-confidential version was circulated by other interested parties, despite filing a deficient response.
 - c. Exporters have not only claimed confidentiality with the domestic industry, they have even withheld critical information from the Authority. Therefore, their responses ought to have been rejected.
 - d. The exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. The non-confidential version of the questionnaire response has not been given for all the information contained in the confidential version without assigning proper reasons.
 - e. The Hon'ble courts and Tribunals had clearly held that information provided to the Designated Authority on a confidential basis is not required to be treated as confidential merely because it is provided to the Designated Authority on a confidential basis and has further laid down detailed guidelines to examine claims of confidentiality. Further, it has been held that confidentiality is not a mere tool to deny disclosure to kill transparency, or to create a handicap for opposing parties. It has been laid down that for the purpose of transparency; there is an obligation on the Authority to require the parties to furnish non-confidential summaries, which shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence.
 - f. Unfortunately, neither of the said parties have even attempted to make good for the deficiencies in their responses, nor was any explanation provided for claiming such vital information as confidential.

E.3. Examination by the Authority

24. Various submissions made by the applicant, as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:
25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information. (2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

26. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied, allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
27. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of submissions with each other through e-mails. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1. Submissions made by other interested parties

28. The submissions concerning normal value, export price and dumping margin made by the producers/exporters/importers/other opposing interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. The applicant had constructed the cost of production of the subject goods in the subject countries based on their input cost and, therefore, the Authority is requested to adequately examine each factor carefully and make appropriate adjustments.
 - b. The applicant has claimed excessive adjustments from the export price which is also intended to show a lower export price.
 - c. The claims of dumping and injury margin in the application appear highly exaggerated and not based on relevant and applicable facts.
 - d. The Authority must consider the actual data relevant for normal value and export price, meaning thereby dumping margin provided by the participating producers/exporters.
 - e. The Authority may determine individual dumping and injury margin for the producer/exporter in this submission who had filed the exporter's questionnaire, as prescribed.
 - f. The claim of the applicant industry for using a particular market situation from Oman cannot be accepted, as this claim was made for the first time in the written submissions. In this context, it is noted that notification submitted by the domestic industry merely established the minimum export price and the existence of dual pricing.
 - g. Moreover, in the previous investigations, concerning raw gypsum as input, the Authority has not considered that exporters from Oman are benefitted from any special circumstances. It is also submitted that the information relating to dual policy, or any other such information has not been filed by the domestic industry and therefore, the claim relating to the particular market situation cannot be accepted.

- h. It is submitted that assuming but not admitting that the information for profits and domestic sales of the Chinese companies is considered as necessary information, non-filing of the same does not tantamount to rejection of the entire response. The information on export price provided by the Chinese companies is complete and accurate. Therefore, the authority cannot apply facts available to the information with respect to export price.
- i. The calculation of normal value for Oman based on cost parameters of applicant industry is incorrect and the Authority should accept the data reported by exporter from Oman. Alternatively, even if the Indian authority insists on using the constructed normal value, the costs used to construct the normal value must be from the producer's records and from the originating country, or even these costs must be adjusted back to reflect the conditions prevailing in the originating country.
- j. The respondents submit that the argument of the applicant on a particular market situation is highly belated. Further, the applicant has not provided any evidence of "dual pricing". The only document referred to by the applicant shows the existence of a minimum export price threshold. However, there is no evidence provided by the applicant on the control of domestic prices by the Oman Government. The administrative decision no. 246/2016 used by the applicant to allege particular market situation actually sets a minimum price threshold only for the export of raw gypsum. The fixation of minimum export price does not prove that the domestic price of raw gypsum is lower. The applicant has not provided any evidence with respect to the same.
- k. In relation to the requirement of filing separate responses by producer/exporter, the responding exporters have submitted that there is no bar to provide a single response for two related entities if both the entities have provided all the "necessary information" sought in the questionnaire response. The applicant has not pointed out a single instance where the entities have not provided the "necessary information".
- l. The submission to make Europe (combined) as surrogate is belated and therefore, cannot be accepted. Further, Europe (combined) cannot be an appropriate surrogate country as the union is not a member of the WTO and is merely a continent.
- m. The information provided by the Chinese exporters constitute necessary information as per available jurisprudence. It is further submitted that the application of facts available for the non-submission of certain information cannot be tantamount to the rejection of the entire response.
- n. The cost of production of the exporters reasonably reflects the cost associated with the production of the subject goods and rest of the claims of the applicant has no meaning.

F.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

29. The following submissions have been made by the domestic industry concerning normal value, export price and dumping margin and are considered relevant by the Authority:

- a. The domestic industry has provided sufficient evidence to support their claim of normal value and export price in their application for the purpose of the initiation. It is submitted by the domestic industry that they were not able to obtain any reliable information in relation to the prevailing prices in the subject countries. Further, the information on imports of the subject goods into the subject countries or exports to other countries was also not available in the public domain for the POI.
- b. The normal value information, based on the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits were constructed after considering the minimum export price of raw gypsum from Oman i.e., USD 12.5 / MT on the basis of the Administrative Decision No. 264/2016 dated 19.12.2016 published by Public Mining Authority, Sultanate of Oman. As regards China, being a non-market economy country, the applicant domestic industry has used the minimum export price of raw gypsum from Oman as the raw material price of raw gypsum for China. Therefore, the constructed normal value has been arrived at as per the norms followed by the authority and in accordance with the legal provisions.
- c. The domestic industry submits that the only participating exporter from Oman, has not filed the complete exporter questionnaire response and therefore, the domestic industry has requested the Authority, to kindly reject their responses in totality. They have also requested that while computing constructed normal value for them, the Authority should consider gypsum cost as USD 12.5 MT.

- d. None of the exporters from China has filed a complete exporter questionnaire response. Even the formats prescribed by the Authority have not been filed. In view thereof, the Authority ought to reject the responses of all the Chinese exporters. It is also submitted that the exporters have not disclosed their total sales channel and related entities exported had not filed complete questionnaire.
- e. The domestic industry further submitted that despite specific formats and instructions, producer / exporter from China PR namely, Linyi Excel Import & Export and Zonmay Building Materials Co., Ltd., had filed single exporter questionnaire response. Further, they have withheld the information that both the entities have exported the subject goods to India. In view of the above deficiencies and the fact that all the formats have not been filed by them, the Authority should reject their responses on this ground alone.
- f. The export price in the application is calculated based on the secondary source import data. Further, the applicant has deducted ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, and credit costs as per the best information available with the domestic industry.
- g. The domestic industry has further requested the authority to consider prices from EU as a surrogate price prevailing in the subject countries, as none of the interested parties have provided a complete response.

F.3. Examination by the Authority

F.3.1. Determination of normal value and export price

Normal value computation

30. Under section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b);

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in the present investigation by filing their questionnaire responses:

- a. Global Gypsum Board Company Limited, Oman
- b. Zonmay Building Materials Co., Ltd. & Linyi Excel Import and Export
- c. Dream Brand New Materials (Pingyi) Co. Ltd
- d. Shijiazhuang Dianyu Import and Export Co., Limited

32. The exporter questionnaire response of all of the above-mentioned producers/exporters has been considered by the authority except for Zonmay Building Materials Co., Ltd. & Linyi Excel Import and Export. It is noted that Zonmay Building Materials Co., Ltd. & Linyi Excel Import and Export, have not filed the complete exporter's questionnaire response and relevant information sought by the authority despite giving sufficient opportunity to rectify the deficiency. In view thereof, it is decided not to accept its exporter questionnaire response. Accordingly, the Authority has applied facts available in terms of Rules 6(8).

33. In relation to the submission of considering exports from the EU after necessary adjustments as surrogate prices as normal value prevailing in the subject countries, it is noted that the quantum of imports from the EU is not significant. Therefore, the EU cannot be considered as a surrogate country for the subject countries.
34. In relation to the request for considering the particular market situation in Oman, it is noted that although the domestic industry had pointed to Administrative Decision No. 264/2016, it is noted that the domestic industry has not substantiated the existence of dual prices and how the same is impacting normal value calculation. In any case, in the absence of the required data, the Authority is not able to invoke the provisions of particular market situation from Oman.

Normal Value for all the producers from China PR

35. The applicant has submitted that China should be treated as a non-market economy, and the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in their industry with regard to the production and sale of the product. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
36. As none of the producers from China PR have claimed market economy status for China PR, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules which reads as under:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

37. The Authority notes that neither the applicants nor the other interested parties have provided any information and evidence to enable the determination of the normal value on the basis of prices, exports or constructed value in the market economy third country.
38. In view of the foregoing, and in accordance with para 7 of Annexure 1 of the rules, the Authority has considered the normal value on the basis of the price paid or payable in India. The Authority has considered the cost of production of the domestic industry as adjusted with reasonable addition for profit for the purpose of determining normal value. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Export Price for China

Dream Brand New Materials (Pingvi) Co. Ltd.

39. The Authority notes that M/s Dream Brand New Material (Pingvi) Co Ltd (Dream Brand), a producer and exporter of the subject goods in China PR, has filed the questionnaire response. During the POI, the producer has exported *** MT of the subject goods for *** USD\$ directly to unrelated customers in India on FOB basis. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation, port and other expenses. The Authority has examined the claims made by Dream Brand, and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at an ex-factory level for Dream Brand New Material (Pingvi) Co. Ltd. has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Shijiahuang Dian Yu Import and Export Co. Ltd., China PR (producer and exporter)

40. The Authority notes that M/s Shijiahuang Dian Yu Import and Export Co. Ltd. (Shijiahuang), a producer and exporter of the subject goods in China PR, has filed the questionnaire response. During the POI, the producer has exported *** MT of the subject goods for *** USD\$ directly to unrelated customers in India on FOB basis. The producer has provided relevant information in the form and manner required. The Authority has examined the claims made by Shijiahuang and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Shijiahuang Dian Yu Import and Export Co. Ltd. has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table.

Zonmay Building Materials Co., Ltd.

41. The Authority notes that M/s Zonmay Building Materials Co., Ltd. has exported the subject goods to their related trader, namely Linyi Excel Import and Export. The trader has ultimately sold the subject goods to Indian customers during the POI. However, the Authority has not received the details of sales by the Zonmay Building Materials Co. Ltd. (producer) to the Linyi Excel Import and Export (exporter). Due to this reason, the Authority could not calculate the export price for Zonmay Building Materials Co., Ltd.
42. In light of the facts above, the authority treats both Zonmay Building Materials Co., Ltd. And Linyi Excel Import and Export as non-cooperative in the investigation.

Other producers from China PR

43. The normal values and export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR is determined as per the facts available and considering the data provided by the cooperating producer and the same has been mentioned in the dumping margin table.

Normal value for Oman**Normal value for Global Gypsum Board Co LLC**

44. Global Gypsum Board Co LLC, who is a producer of the subject goods in Oman has filed the questionnaire response.
45. From the response filed by GGBC, the Authority notes that the company has sold the subject goods in the domestic market directly to unrelated customers. However, it was noted that cost-related information filed by GGBC was grossly inadequate. The company has provided information related to the company as a whole but not provided any information related to the cost of subject goods in Appendix -7 and 8. In the absence of cost-related information of the subject goods, the Authority is unable to determine the cost of production and conduct an ordinary course of trade test for the subject goods. Therefore, the Authority is unable to determine the normal value for GGBC.
46. Accordingly, normal value for Global Gypsum Board Co LLC, has been constructed having regard to the cost of production in India, duly adjusted, and with reasonable SGA expense, and profit margin and the same is mentioned in the dumping margin table.

Normal value for all other producers from Oman

47. The Authority notes that no other exporter/producer from Oman has responded to the exporter's questionnaire. Therefore, the normal value in their cases has been determined on the basis of the best facts available on record.

Export Price for Global Gypsum Board Co LLC, Oman

48. Global Gypsum Board Co. LLC (Global Gypsum Board), a producer and exporter of the subject goods in Oman, has filed the questionnaire response. During the POI, the producer has exported *** MT of the subject goods for USD\$ *** directly to unrelated customers in India on C&F basis. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, inland transportation, bank charges, port and other expenses. The claims made by the

Global Gypsum Board were examined, and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at an ex-factory level for Global Gypsum Board Co LLC has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table.

Other Producers from Oman

49. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Oman is determined as per the facts available considering the data provided by the cooperating producer is the same as mentioned in the dumping margin table below.

F.3.3. DUMPING MARGIN

50. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries are determined as given in the dumping margin table below:

Dumping Margin Table

Sl. No.	Country	Particular	NV	NEP	DM		DM Range
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	China	Dreambrand new materials (Pingyi)co., (Producer/ Exporter) China PR	***	***	***	***	110-120
2		Shijiazhuang DianYu Import and Export (Producer/Exporter) China PR	***	***	***	***	100-110
3		Any Other	***	***	***	***	120-130
4	Oman	Global Gypsum Board Co. LLC. (Producer/ Exporter) OMAN	***	***	***	***	50-60
5		Any Other	***	***	***	***	60-70

51. The Authority notes that the dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minimus* but also significant.21+654`.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions made by other interested parties

52. The submissions with regard to the injury suffered by the domestic industry and the causal link made by the producers/exporters/importers/other opposing interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- The claim of the domestic industry regarding material retardation cannot be accepted as there are producers, namely Indian Gypsum Pvt. Ltd. and Gyptech Systems Pvt. Ltd., who are already in the business of the product under consideration.
- It is further submitted that since the subject goods do not qualify the criteria of production, the applicant industry cannot be said to be a producer of the subject goods. Moreover, the value addition from raw material to the subject goods is very minimal, which also makes it clear that the current investigation cannot be examined under the clause of material retardation under injury.
- Considering value addition from gypsum boards, the subject goods cannot be considered as a new product for this present investigation.
- It is further submitted that the applicant industry cannot be considered as a nascent industry or an establishing industry because the value addition is insignificant (i.e., 4%) from the gypsum boards. Further, the investment done by the applicant industry is also a minuscule percentage as compared to the total investment made by the applicant industry (company as a whole).

- e. The respondent has submitted that the applicant is not a nascent industry, and their claim that the commercial production began in October 2020 is wrong, as the applicant has been producing the product since February 2018, which is before the injury period. Therefore, the claims of material retardation do not stand. They have also requested the authority to terminate the present investigation as the applicant has attempted to mislead the authority. It is further submitted that the domestic industry is not undertaking “production” to the extent that it can command itself as engaged in the production of a product.
- f. In addition to the above, interested parties also submitted that even on account of the investment made by the domestic industry in the product under consideration, the present investigation does not pass the test of a nascent or new industry.
- g. In order to check if the industry is established, there is a need to examine the time of commencement of production, the nature of production, if the product is merely a new product line in an existing industry, size of production versus size of domestic market and stability of production. Based on these parameters, the Authority should examine the claim of the domestic industry and conclude that the domestic industry is not an establishing industry.
- h. It is submitted that the domestic industry is producing the subject goods from 2015 and therefore, they cannot be considered as a new or nascent industry.
- i. Sufficient data for material retardation has not been submitted. The Authority must examine whether the applicant is yet to find a way in the market or is already established.
- j. It is also submitted that the domestic industry is importing all the raw materials used for manufacturing boards and lamination from the subject countries. Further, an increase in raw material cannot be alleged as a factor when the domestic industry itself is producing the raw material.
- k. The inability to make a return within 2.1 years is because the commercial production of the applicant began during the pandemic when demand was lowest over the injury period.
- l. It is submitted that all the parameters have shown improvement and therefore, even on material injury the current investigation needs to be terminated.
- m. It is further submitted by the interested parties that there is substantial overlapping in the production process, commercial and research overlap, etc. in the production of the subject goods and the raw material i.e. gypsum board without lamination. Therefore, they cannot be considered the domestic industry as producers of the subject goods who can suffer any injury.
- n. The export of Omani industry to India is drastically dropping. There has been the export of small quantities in India from Oman during the last years. Therefore, their export to the Indian market is *de-minimus*. Furthermore, the Omani company participating in this investigation stated that they stopped exporting to India since 2022.
- o. It is submitted that all injury parameters are increasing and therefore, facts are not supporting the contention of the domestic industry that they are not able to establish themselves.

G.2. Submissions by the domestic industry

53. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced below:

- a. It is submitted by the domestic industry that despite specifically being pointed out during the oral hearing by them, the respondents have not referred to any legal provision that mandates or even remotely suggests or gives any guidance with respect to any investment thresholds for considering any industry as a nascent industry, or for any other purpose. It is further submitted that since there is no legal provision nor any logical reasoning provided in this regard, the argument of the interested parties is devoid of any merit or substance and therefore, needs to be rejected.
- b. The domestic industry has further submitted that had it been the intent of the legislature to provide specific investment thresholds for the purpose of anti-dumping investigations, it would have specifically said so. The domestic industry has further pointed out that wherever numerical values were considered necessary, the law has specifically provided for the same. Further, the Authority is neither required nor

supposed to traverse beyond what is specifically provided under the law and therefore, getting into investment levels of any nascent industry would not only be without the authority of law but also set unguided precedents.

- c. In relation to the submission that the subject goods do not constitute a new product, the domestic industry submitted that the term “new product” or “manufacture” has not been specifically defined in the anti-dumping laws. However, as per the Hon’ble Supreme Court the term “manufacture” means only those changes which result in a product with a new name, character and use. The domestic industry had further submitted that since the definition of manufacture is identical in anti-dumping and Excise law, the ratio of the apex court is of direct relevance and has an immense persuasive value, particularly in view of the fact that there is no logical or legal hurdle in understanding the concept.
- d. It is further submitted that investment in any project is a function of the capital requirement for that particular product. It is completely irrelevant whether the investment is “low” either in absolute terms or relative to the overall investment in the applicant company. The approach suggested by the interested parties cannot be resorted to under any circumstances as there are no norms for determining the threshold investment, in absolute or relative terms. Such an approach, unfortunately, would not only be detrimental to the applicant industry but also in complete disregard to the scheme of anti-dumping laws and procedures. What is really relevant for the Authority is to be satisfied that the industry has made adequate investments to ensure efficiencies of production and use of appropriate technology.
- e. In relation to the overlapping of facilities, the domestic industry has submitted that the interested parties have attempted to give the impression that a new product cannot be said to come into existence if there is any overlapping in the process. It is further submitted that there could be a situation where the overlapping is substantial, even then the Authority can come to the conclusion that a new product is being manufactured. The high degree of overlapping may call for a closer examination but cannot be a decisive or conclusive test. Therefore, the real tests are those which have been given by the Hon’ble Supreme Court in the case cited above for the reasons mentioned therein.
- f. It is further submitted by the domestic industry that the so-called “overlap” in the production of the subject goods is minimal which is also restricted to costs incurred on account of overheads, marketing, etc. The contention of the interested parties that only two out of the twenty-five steps listed by the domestic industry in their application are exclusive for PUC business is factually incorrect and denied, machinery as well as plant and building for the product under consideration was completely different from the boards’ manufacturing facility. They have also submitted that the value addition is more than 50%, a fact which was duly verified by the authority from the data on record. The domestic industry also relied on the previous DGTR investigations dealing with similar issues to substantiate their case.
- g. The domestic industry has also submitted that although they are producing the subject goods at one location, however, they intend to replicate similar facilities at other locations to cater to specific geographical markets, which could not be materialized due to incessant dumping from the subject countries.
- h. As regards the issue to other producers of the subject goods, the domestic industry has submitted that as per the information available with them, the other two producers who have commenced production post-POI have already shut down temporarily, due to dumped and injurious imports from the subject countries.
- i. As regards to the submission that since SG Group is using the existing infrastructure of R&D of the sister companies, this investigation cannot be considered as material retardation, the domestic industry has submitted that it has filed an anti-dumping application claiming material retardation to its establishment in the Indian market and not in other markets. Therefore, reliance on separate legal entities situated in different countries has no legal or logical bearing on the instant investigation.
- j. As regards the date of commencement of the production of the subject goods by the domestic industry, the domestic industry has submitted that they produced the subject goods first time in October 2020 in India and, prior to October 2020, they were importing the subject goods and selling in the Indian market. In view thereof, there was not even an iota of the information/evidence that suggests that the domestic industry had made any incorrect and misleading submissions.
- k. The domestic industry has suffered volume as well as price injury underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries. The parameters such as profits, cash profits, profit before interest, return on capital employed and market share were significantly adverse even in absolute

numbers. Despite growth in terms of production and domestic sales, the domestic industry continues to incur losses on account of low-value dumped imports from the subject countries.

1. No other factor can be attributed to the material injury suffered by the domestic industry.

G.3. Examination by the Authority

54. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles”.

55. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Rules states as under-

“(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

56. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Regarding the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the purpose of the current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

57. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the present case is the one for material retardation of the establishment of an industry. There is a need to address certain legal aspects regarding the concept of ‘material retardation’ to the establishment of an industry prior to proceeding with the injury analysis.

58. Article 3 of the WTO Agreement on the implementation of Article VI of the GATT provides no definition for ‘material retardation’. The footnote 9 to Article 3 merely states as follows:

“Under this Agreement, the term “injury” shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.”

59. Similar is the case with the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, wherein Annexure-II merely clubs ‘material injury’, ‘threat to material injury’ and ‘material retardation’ under the definition of ‘injury’. There is no further explanation as to what constitutes material retardation to the establishment of an industry.

60. However, it is clear that ‘material retardation’ applies only to unestablished industries and not industries that are fully established. This is true because it is not logical for the Authority to find that a domestic industry was being injured by the dumped imports (which presupposed that such an industry was already established) and at the same time the establishment of a domestic industry was materially retarded by those imports. The meaning of ‘unestablished industries’ has also not been provided in the Anti-Dumping Agreement, or the Act and the Rules. However, there has been a proposal at the WTO for amendment of the Anti-Dumping Agreement which provides some clarity as to the meaning of material retardation and establishment of the industry. However, the same has not yet been adopted by the members. Therefore, complete reliance cannot be placed on the same while deciding on the issue.

61. In addition to the above, the Authority has also analyzed the practice in other jurisdictions relating to the establishment of an industry. In this context, it is noted that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. Therefore, the investigating Authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence. Further based on an analysis of the jurisprudence available on the subject, the Authority has analyzed whether the domestic industry is an establishing (nascent industry) or an established industry. In this context, the Authority has examined the following:
- a. The WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel also stressed on the importance of the degree to which the existing infrastructure is utilized for the production of the product under consideration. The domestic industry had set up a new manufacturing building, plant and machinery for the subject goods and started commercial production in October 2020. As noted above, the WTO Panel has observed that what is important is not the introduction of a new product line itself, but rather the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry. The Authority notes that a new plant alongside the existing plant manufacturing gypsum plaster board is set up to manufacture the subject goods, and this is a new production line taking gypsum plaster board as a raw material. The degree of infrastructure overlapping in the present case is low and not significant between the existing infrastructure of the industry producing Gypsum plaster board and the new plant producing subject goods that has been set up.
 - b. As regards the submissions relating to overlapping in administrative functions, selling and marketing, distribution channel, R&D, etc., it is noted that while overlapping exists in these factors, the production process of the subject goods is distinct. The Authority has noted the contention of the applicant that some degree of overlapping would not preclude the industry from being a nascent industry. In addition to this, the fact that the domestic industry has set up a new plant having separate machinery and even a portion of the building for the production of the subject goods is also separate, cannot be ignored. Further, it is noted that the machinery used in manufacturing of gypsum boards different from the one which is used to produce subject goods. The production processes involved in the manufacturing of the subject goods differ from the production process of the gypsum board.
 - c. In relation to the submissions that the applicant is not a nascent industry, as they have been producing the product since February 2018, which is before the injury period, it is noted from records that the domestic industry started commercial production in October 2020.
 - d. As regards the submission that the amount invested in the manufacturing facilities of the subject goods is very negligible as compared to the amount invested by the company in other products, it is noted that investment in any project is a function of the capital requirement for that particular product and not the ratio of the amount invested by the company for other projects.
 - e. As regards, the submissions relating to insignificant value addition from Gypsum Boards to the subject goods is concerned, it is also noted that the value addition is substantial.
 - f. As regards the contention that the production, capacity utilization, market share and sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to the previous year, the Authority notes that the performance of the domestic industry in terms of the above parameters is expected to improve considering that it has recently commenced production of the subject goods. As a result, thereof, the capacity utilization gradually improves. Thus, the increase in production and sales over the injury period is clearly reflective of the efforts made by the domestic industry to establish itself in the market. The Authority further notes that the phrase retardation means that dumped imports are preventing an infant industry from fully establishing itself to the point of reaching commercial stability of production which would allow it to prosper in the absence of dumped imports. Thus, in order to examine whether the imports have materially retarded the establishment of industry, the relevant aspect is not whether the industry showed some progress or made profits but the relevant aspect is its performance as against the projections made in the capex report. For this purpose, the Authority has compared the actual performance of the domestic industry with its projected performance reported in the capex report prepared by the domestic industry.
62. The Authority has taken note of the submissions of the domestic industry and all other interested parties and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account

the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses all the concerns raised.

a. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

63. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	UoM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Imports from China PR	MT	51,880	49,857	45,375	38,610
Imports from Oman	MT	0	473	1,086	2,872
Imports from Total Subject Countries	MT	51,880	50,329	46,461	41,482
Imports from Other Countries	MT	503	165	513	72
Total Imports	MT	52,383	50,495	46,974	41,554
Share in Imports					
Subject countries	%	99%	100%	99%	100%
Other Countries	%	1%	0%	1%	0%
Applicant Industry Sales	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	0	0	100	336
Total Demand	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	93	95	97
Market Share in Demand					
Subject countries	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	101	94	82
Other Countries	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	34	107	15
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	-	-	100	328

64. From the above table, it can be observed that during the injury investigation period, the demand has marginally declined in the POI as compared to the base year i.e., 2018-19. However, the same has increased as compared to the year 2019-20 & 20-21.

b. Volume effect of the dumped imports

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The year-wise import data from the subject countries and other countries are given in the tables below:

Particulars	UoM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Imports from the subject countries	MT	51,880	50,329	46,461	41,482
Import from other countries	MT	503	165	513	72
Domestic Production	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	-	-	100	298

% Volume of import from the subject country in comparison to Indian production	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	-	-	100	30
Demand in India	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	96	95	97
% Share of Subject Countries in Demand	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	101	94	82

66. It is noted that the volume of imports from the subject countries is almost 100% of the total imports into India. Further, the share of imports from subject countries in relation to production and demand in India is also very significant.

G.3.1. Price effect of dumped imports and impact on the domestic industry

67. In terms of Annexure-II (ii) of the Rules, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price undercutting

68. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level:

Particulars	UoM	China PR	Oman	Subject countries
Import Quantity	MT	38,610	2,872	41,482
Landed value	Rs/MT	15,719	17,862	15,867
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***
Domestic Selling Price (Indexed)	Trend	100	100	100
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
Price Undercutting	Range	50-60	30-40	50-60
Projected Selling price	Rs/MT	***	***	***
Domestic Selling Price (Projected) (Indexed)	Trend	100	100	100
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
Price Undercutting	Range	45-55	30-40	45-55

69. The Authority notes that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting. It is also noted that the price undercutting is also substantially positive when compared to the selling price as per the projections of the domestic industry.
70. The domestic industry contends that because of this aggressive pricing of the exporters from the subject goods, the domestic industry was unable to increase its sales volume and market share. Moreover, they are also not able to recover their complete cost. It has been further submitted that the domestic industry is not able to increase its market share due to significant price undercutting.

b. Price suppression/depression

71. Since the domestic industry is at a nascent stage, in order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress the prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the Authority has compared the landed value of the imports from the subject countries, the domestic selling price and the cost of sales of the PUC during the POI. The table below shows the comparison among the factors mentioned above:

Particulars	UoM	POI
Landed value from subject countries	Rs/MT	15,867
Trend		100
Domestic selling price	Rs/MT	***
Trend		100
Cost of Sales Rs. /MT	Rs/MT	***
Trend		100

72. It is noted from above that the landed value of imports from the subject countries are very low as compared to both domestic selling price as well as cost of sales. Thus, the landed price of subject goods from subject countries are preventing the domestic industry to increase its selling price to the remunerative levels. Thus, the prices of the domestic industry are suppressed and depressed.

G.3.2. Economic parameters relating to the domestic industry

73. Annexure-II to the Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

a. Production, sales & capacity utilization

74. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	UoM	2020-21	POI	Projected
Capacity (MT)	MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100
Total Production (MT)	MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	298	326
Capacity utilization Annualized	%	***	***	***
Trend	Indexed	100	298	326
Domestic Sales	MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	336	373

75. It is noted that:

- During the injury period, the capacity, production, capacity utilization and sales have increased over the period of investigation, as the domestic industry commenced production.
- However, the domestic industry was not able to achieve its targeted projections during the period of investigation.

ii. Market share

76. Market share of alleged dumped imports and the domestic industry have been examined as below:

Particulars	UoM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	95	97
DI % share of Total Domestic sales in Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	100	330
% Share of Subject Countries in Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	94	82
% Share of Other Countries in Demand		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	34	107	15

77. It is noted that the subject imports hold a significant share of the market in India throughout the injury period. Since there was no production in the initial two years, the imports from the subject countries and other countries were catering to the entirety of the demand. Even after the domestic industry has started production, the subject imports have commanded a significant share of the Indian market.

iii. Profits, Return on investment and cash profit

78. Since the domestic industry is at a nascent stage, in order to analyze the profitability, cash profits and return on capital employed of the domestic industry, the Authority has compared projected profitability with the performance of the domestic industry in the POI. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UoM	Projections	POI
Domestic Sales Quantity	MT	***	***
Trend	Indexed	100	90
Ex-Factory Cost of Sales	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	135
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	103
Profit / Loss	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	-57
Profit / Loss	%	***	***
Trend	Indexed	100	-56
Depreciation	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	96
Cash Profit	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	-43
Interest Cost	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	111
Capital Employed	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	100
Return on Capital Employed	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	-57

79. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation. It indicates that the domestic industry was not able to increase its prices to a remunerative level. It is further noted that the cost of sales increased whereas the selling price has not increased as per projections.
80. The profitability of the domestic industry has considerably suffered as it has made losses as compared to the projected profit. Even the cash profit is also negative. As per the submission of the domestic industry, because of this situation, the expansion plan at different locations was put on hold.

iv. Inventories

81. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2020-21	POI
Opening stock	MT	***	***
Closing stock	MT	***	***
Average stock	MT	***	***
Trend	Indexed	100	231

82. It is noted that the average inventories of the domestic industry have increased in the period of investigation. It has been submitted that the domestic industry has kept projections at lower capacity utilization in the initial years to avoid piling of inventory and to minimize inventory carrying cost. However, due to dumped and non-remunerative imports, inventory of the domestic industry doubled in the POI.

v. Employment, Wages and Productivity

83. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	POI	Projections
Employees	No.	***	***	***
Trend	Indexed	100	134	134
Productivity per day	No/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	298	326
Wages	Rs. / No	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	177

84. It is noted from the above table that:

- Productivity has increased in the POI as compared to the preceding years.
- The domestic industry has claimed that the number of employees engaged by them increased marginally during the POI.

vi. Magnitude of dumping

85. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing or likely to cause injury to the domestic industry. It is noted that imports from the subject countries are entering into India at dumped prices and the margin of dumping is positive, above *de minimis* limits, and also significant.

vii. Growth

86. It is noted from the records that growth in volume as well as price parameters are very low in terms of comparison with the projections.

viii. Ability to raise capital investment

87. It is noted that the domestic industry is incurring actual losses and the return on capital employed is also significantly negative, as compared to projected positive profits and returns. Further, the market share is also abysmally low. This indicates that the ability of the domestic industry to raise fresh capital investments has been adversely impacted due to the subject imports.

H. EXAMINATION OF CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

88. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

a. Imports from other sources

89. The imports of the subject goods from sources other than the subject countries are below *de-minimis*.

b. Contraction in demand

90. There is slight decline in demand with respect to base year but demand has increased compared to 2019-20 and 2020-21 for the product under consideration in India. The demand has increased in the period of investigation.

c. Changes in the pattern of consumption

91. The pattern of consumption for the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and the domestic industry.

92. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

93. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

f. Export performance

94. The domestic industry is not exporting the subject goods. Therefore, injury caused is only because of domestic operations.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

95. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold are not a possible cause of injury to the domestic industry.

96. The Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered injury on account of the dumped imports from the subject country

I. Magnitude of injury margin / Price underselling

97. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure-III of the Rules and being followed.

98. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Injury margin Table / Price Underselling

Sl. No.	Country	Particular	NIP	LV	IM		IM Range
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	China	Dreambrand new materials (Pingyi)co., (Producer/ Exporter) China PR	***	***	***	***	0-10
2		Shijiazhuang DianYu Import and Export (Producer/Exporter) China PR	***	***	***	***	10-20
3		Any Other	***	***	***	***	10-20
4	Oman	Global Gypsum Board Co. LLC.(Producer/ Exporter) OMAN	***	***	***	***	20-30
5		Any Other	***	***	***	***	50-60

99. It is noted that the injury margin is positive and significant for cooperating producers as well as all the subject countries for POI.

J. Indian Industry's Interest & Other Issues

100. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic producers, and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Further, the Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

101. The Authority considered whether imposition of anti-dumping duty shall have significant adverse public interest. For the purpose, the Authority examined the information on record pertaining to the interests of various parties, including the domestic industry, other domestic producers, importers and consumers of the product.

102. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information regarding the present investigations, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, the ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

103. Even though the Authority had prescribed formats for the users to quantify the impact of anti-dumping duty and elaborate how imposition of anti-dumping duty shall adversely impact them, it is noted that none of the users provided any relevant information. The domestic industry claimed that the impact of duties on the end consumers will be negligible and will not impact them. However, imposition of the duties will give legitimate protection to the domestic producers of the subject goods to establish themselves.

POST DISCLOSURE COMMENTS

104. The Authority issued the disclosure statement on 20.09.2023 disclosing essential facts under consideration in the investigation and inviting comments from all the interested parties. Most of the issues raised in the post disclosure comments have already been raised earlier and addressed appropriately hereinabove. Additional submissions to the extent relevant have been examined below:

Submissions of the other interested parties:

- a. The rejection of the normal value of Global Gypsum Board Co. LLC is without any legal and factual basis. The company has provided information on the PUC which can be crosschecked from various appendices filed. However, the information is rejected based on incorrect assumption and without giving opportunity to the

exporter to clarify the same. Global Gypsum provided all the necessary information on cost and prices for the PUC. Determination on rejection of normal value without onsite or on-desk verification and without giving an opportunity to the exporter to explain/clarify the same is in violation of the principle of natural justice.

- b. Global gypsum has provided all necessary information for normal value determination and therefore, the Authority cannot apply facts available to that information. Reliance is placed on the WTO Panel in the US-Steel plates from India.
- c. The disclosure statement does not disclose how a separate facility to manufacture the product under consideration set alongside the existing facility manufacturing its raw material “Gypsum plaster Board” indicated that a new industry has been set up rather than a new product line. The disclosure statement except for stating its existence has not dealt with in detail ‘the degree’ of overlap of administrative functions.
- d. There is an overlap of (1) research facilities since the petitioner sells the PUC worldwide through Gyprex, and as sister companies, any research and development requirement for the product is met by the company globally; (2) customers and distribution channels, as an established brand, the petitioner is able to cater both requirements of the PUC raised through tenders and for residential purposes. (3) branding, marketing, customers, distribution channel, research, technical data sheet etc. as the applicant has used the same brand name ‘gyprex’ for selling the product prior to 2018, for tenders to provide the PUC and for selling the product through its new production facility. The disclosure statement does not elaborate on the factors that led to the conclusion that there exists different client networks and distribution channels which could state that it was a new industry.
- e. With respect to the distinctiveness of the production process, reliance is placed on investigations launched into ceramic tiles from India around the world to hold that having a separate facility to merely laminate a product will not make the PUC a new product but merely a different type of the gypsum product.
- f. Further, as per the meaning of ‘production’ as provided in SDH Equipment, there is no substantial transformation as the physical and technical properties, production technology, manufacturing process, plant and equipment, function and uses, consumer perception and customs classification remain largely the same for laminated gypsum board and its raw material ‘un-laminated gypsum board’.
- g. While investment in any project is a function of the capital requirement for that particular product, such investment is required even where a company adds a new product line. The disclosure statement does not provide any reasoning as to why investments made by Saint Gobain towards the PUC was a new industry rather than a new product line or whether the investment made can be categorized as “genuine and substantial”. The respondents have placed reliance on the proposal at the WTO for the Amendment of Anti-Dumping Agreement which clarifies the meaning of ‘material retardation’ and ‘unestablished industries’.
- h. The claim of 50% value addition by the applicant was only made during oral hearings, not in writing. Therefore, the information cannot be taken into consideration by the Authority as per Rule 6(6) of the Rules. The disclosure statement does not provide a meaningful analysis of the information considered when examining that there is substantial value addition by the petitioner. The meaning of value addition is value of conversion of the material. The respondents strongly believe that the alleged value addition has been claimed by adding the value of purchased raw materials. Respondents strongly believe that the petitioner has considered gypsum powder for determining value addition’. Reliance is placed on findings in the matter of CPVC, wherein resin and compound were considered to be the same product, despite significant difference in NIP.
- i. Share of imports are declining in favour of Saint-Gobain, which risks monopolization and consequent predatory pricing. The post-POI increase in price is an indication of this.
- j. The injury margin as proposed in the disclosure statement is impossible in so far as residual margins are concerned. Thus, there is some error in the injury margin calculations.
- k. The applicant has continued to claim that Asiatic Gypsum and Fourline Gyplam Pvt Ltd have ‘temporarily stopped production. The respondents are unaware if ‘this information’ has been placed on record and verified by the Authorities as the disclosure statement is silent regarding the same. In the event, the same has been placed on record, the respondents request the same be shared and reserve the right to comment on the same.
- l. It is requested that the anti-dumping duty be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty per MT in US\$. Benchmark form of duty will be inappropriate since freight form a significant part of the landed price, which were unusually high during COVID. The response on record shall show that the normal freight cost involved is US\$ 30-40 pmt, whereas the average freight cost during the POI was US\$ 120 pmt. This should be reduced from the export price to arrive at undistorted price (distortion due to freight). The ad valorem duties will be ineffective due to exchange rate fluctuations.

- m. That India has violated the requirements of article 5.5 of the anti-dumping agreement regarding by not issuing intention letter prior to the initiation.
- n. That the Indian Authorities should ensure that only the product under investigation will attract duties and no other product. It is further submitted that the imports of the product under consideration should only be used for analysis purpose.
- o. That the time provided for making comments on the disclosure statement is very short. Moreover, this limited period does not provide sufficient opportunity for interested parties to present their views comprehensively and may impede the representation of diverse perspectives.
- p. That the imports from Oman is *de-minimis* and moreover, exporters from Oman have stopped exporting the subject goods to India. Therefore, any injury to the domestic industry is because of China.
- q. That the construction of normal value for Oman is inconsistent with Article 2.2 of the anti-dumping agreement. In this case, the Government of Oman has requested the Authority to disclose data and calculations used to adjust the normal value to reflect selling prices within Oman, ensuring that these amendments were not intended to increase the normal value for Oman.
- r. That the Authority should have thoroughly examined the market conditions and the presence of other domestic producers before concluding that the domestic industry is suffering injury. Further, the Authority should check whether the applicant industry accounts for 50% of the production or below. Further, the DGTR has also not checked whether the application made by/or on behalf of the domestic industry is supported by a significant percentage of producers.
- s. Both the plain gypsum board and the PUC are used for ceiling applications and to that extent ~~extend~~ perform the same function. Even if laminated boards are preferred more on commercial facilities while the plain boards are preferred more on residential or industrial ceilings, it does not change the fact that the functions and usage of both are the same.
- t. It is requested that the Authority clarifies that mineral fibre sound absorption sheets or mineral fibre boards do not form part of the PUC in the present investigation. Such clarification is warranted because the mineral fibre sound absorption sheets and the PUC have a common HS classification code. It is submitted that, both the products have different raw materials, different product segments, different market demand and even the purpose for using both the products by the users are different.

Submissions of the domestic industry

105. Following submissions have been made by the domestic industry:

- a. That the exporters have not provided critical information even to the Authority and despite that the Authority, instead of rejecting their responses, proposes to reward them by giving them individual duties. Further, confidentiality on the essential information has deprived the domestic industry, its right to comment on the same and assist the Authority in reaching the correct conclusion. The domestic industry further requested the copies of all the correspondence with the exporters regarding completion of their responses.
- b. That the acceptance of the incomplete responses will create a very bad and unworkable precedent wherein the exporters will decide which information to give and which not to give. Moreover, the Authority would find it extremely difficult to follow the approach adopted in the instant case in other cases which comes before it. Therefore, responses of the exporters must be rejected.
- c. That the response filed by GGBC should not be accepted by the Authority, as they have failed to provide the information required for normal value computation. It is important to highlight that the exporter has intentionally not provided the costing information, as they want to withhold the actual conversion ratio from SQM to MT and also the actual price at which they are procuring the principal raw material i.e., raw gypsum. It is further submitted that the Authority in the case of new pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps from Thailand has rejected exporters from Thailand for non-submission of normal value related information.
- d. Dream Brand New Materials (Pingyi) Co. Ltd. and Shijiahuang Dian Yu Import and Export Co. Ltd., China PR (producer and exporter), have not provided the information as per the prescribed formats. Since the exporters from China have not even sought any relaxation from the Authority, their response cannot be accepted in terms of the practice of the Authority. Further, this acceptance will encourage manipulations, as exporters will pick and choose the information that suits them the best.
- e. As regards the observation of the Authority in paragraph 34 of the disclosure statement regarding *existence of dual prices and how the same is impacting normal value calculation*, it is submitted that once the domestic industry has submitted *prima facie* evidence of administered prices (minimum export price of raw gypsum is 12.5 USD / MT), the onus to rebut the same would be on the Government of Oman and the exporter. To the

best of our information, neither the Government nor the exporters from Oman have bothered to provide the relevant information. Moreover, in the absence of full cooperation from GGBC, the Authority ought to have accepted the un rebutted claim of the domestic industry and constructed its normal value taking into account gypsum price as USD 12.5 / MT. This request is without prejudice to the request of the domestic industry that the complete questionnaire response of the exporter from Oman needs to be rejected.

- f. In relation to the issue of new product from a new industry, it is submitted that the respondent parties have not been able to appreciate as to when a new product is said to have come into existence. The term “new product” or “manufacture” have not been specifically defined in the anti-dumping laws. However, Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, while defining the term “domestic industry” refer to those domestic producers engaged in the “manufacture” of the like article. It is pertinent to note that the term “manufacture” has not been defined specifically in the Rules. It is further submitted by the domestic industry that they are fully aware that the definitions of another statute cannot be *ipso facto* borrowed in another statute. It would be most appropriate to adopt the same principles for the purpose of anti-dumping laws as the definition in the anti-dumping laws is similar to that in section 2(f) of the Central Excise Act, 1944. In both the statutes, the definition of “manufacture” is inclusive definition without actually defining the term. Thus, the fact whether a new product has emerged or not has to be ascertained in the context of the jurisprudence available. The activities carried out by the domestic industry are fully in line with the ingredients of the concept enunciated by the Hon’ble Supreme Court.
- g. As regards the criterion of “overlapping” it is submitted that the so-called “overlap” in the production of the subject goods is minimal, which is also restricted to costs incurred on account of overheads, marketing, etc. Further, there is not a single machine which is common to the production of the subject goods and its raw material.
- h. In relation to overlapping of utilities, marketing and distribution channel and customer contacts and human resource department is concerned, it is reiterated that such overlapping is not relevant and cannot lead to denial of claim for material retardation to the domestic industry.
- i. As regards the value addition criterion, domestic industry submitted that value addition has been inducted for only a limited purpose and there would be no occasion to use the principle or the numerical criterion for any other purpose whatsoever. It is for this reason the Authority has never used this criterion which is alien for the purpose of material retardation analysis.
- j. It is submitted that the dumping margin and injury margin is not only positive but also substantial. This shows that the domestic industry is suffering on account of imports from the subject countries.
- k. It is requested to recheck the quantum of imports of the subject goods from the subject countries and other countries. There is a difference in the import quantities between import data as per their petition and as used by the Authority in the disclosure statement.

Examination by the Authority:

106. The Authority notes that most of the submissions raised by the interested parties are repetitive and have already been addressed hereinabove. The submissions made by the interested parties, to the extent relevant and not addressed elsewhere, are examined below:

- a. As regards the submission of violation of Article 5.5 of the anti-dumping agreement, it is noted that the DGTR has duly informed the Embassy of Oman about the receipt of the application prior to initiation. Therefore, there is no violation of Article 5.5 of the anti-dumping agreement.
- b. As regards the applicability of the duties, it is noted that only the product under consideration will be subject to anti-dumping duties irrespective of HS classification. Similarly, non-subject goods will not attract anti-dumping duties even if they are coming under the HS Codes of the PUC.
- c. In relation to the time provided for making comments on the disclosure statement, the Authority has noted that none of the interested parties had requested any extension.
- d. Imports from Oman are above *de-minimis*, as per the available data with DGTR. Further, as regards stopping of exports of the subject goods from Oman is concerned, no data / evidence / undertaking is filed to substantiate that there will be no exports of subject goods from Oman and therefore, same cannot be accepted.
- e. As regards the disclosure of normal value related information from Oman is concerned, it is noted that since the exporter from Oman has not provided complete information in relation to the determination of normal value, the Authority has rejected the information pertaining to normal value and applied facts available.

- f. As regards the contention of the Government of Oman relating to the applicant constituting eligible domestic industry for the purpose of the investigation, the Authority has sufficiently dealt with the domestic industry's standing and the injury suffered by it in the appropriate sections of the final findings.
- g. As regards the submission that the rejection of the normal value of Global Gypsum Boards Co. LLC is without any legal basis, and several cases cited by the domestic industry, the Authority notes that normal values and export prices have been determined in the past cases taking into account the fact and circumstances of each case, as per anti-dumping rules, and Agreement on anti-dumping. In this particular case also, the Authority has examined the information submitted by the exporters, and gave full opportunity to them to submit the relevant information which was not provided in their response. Based on the information provided, after examining the facts, the authority considers it appropriate that information given by the company with regard to export price can be considered while the information given by the company for normal value cannot be accepted. The argument of the exporter for acceptance of normal value is therefore rejected. The Authority considers that this provides a balance to the conflicting claims put forward by the two sides.
- h. Regarding the issue of dual pricing and particular market situation, the Authority notes that the relevant submissions have already been dealt with in the appropriate sections of this findings.
- i. As regards the submission that the exporters have not provided the complete information relating to excess confidentiality, the Authority notes that these issues have already been dealt with in the appropriate section of this findings. Since the information relating to exports to India is complete and verified by the Authority, the Authority has accepted their export price for the purpose of individual margins.
- j. Regarding the conversion norms and higher landed value compared to the export price, it is submitted that during the period of investigation, the ocean freight was substantially high compared to the normal situation. This high freight resulted in higher landed value. Moreover, the Authority has verified the data and only the verified data has been used for the purpose of this investigation. Therefore, no prejudice will be caused to any party.
- k. As regards the submission that the disclosure statement incorrectly determines that the product under consideration is a new product and new industry, the Authority notes that the claims of the interested parties are dealt with in detail at the appropriate place in the findings. Further, the domestic industry has established during the course of the investigation that the subject goods fulfil all the criteria of a new industry and that the establishment of the industry is materially retarded due to dumped and injurious imports.
- l. As regards the submission of the interested parties that the claims of the domestic industry regarding significant value addition remain unsubstantiated, the Authority notes that it has already verified the costing and other details of the domestic industry, which substantiate such claims. It is also noted by the Authority that the exporters have merely alleged the value addition percentage. However, none of them have provided complete costing information to substantiate their claim of value addition. On the other hand, complete costing information was filed by the domestic industry in their application and the same has been considered by the Authority while arriving at its conclusion.
- m. As regards the contention regarding the increase in price of the PUC post POI, the Authority notes that such claim has been made for the very first time in the post disclosure comments. Further, the source of the data provided in the post disclosure comments has not been provided to the interested parties. Considering that the submission is belated and that the applicant would not get a chance to rebut this contention, the Authority is not in the position to accept this contention as it would go against the efforts of the Authority to keep the investigation fair.
- n. As regards the submission concerning import volume and injury margin of non-cooperating exporters, the Authority has re-examined the relevant computations to the extent necessary and the final findings have been reached only after making the necessary adjustments.
- o. As regards the contention regarding the standing of the applicant, the Authority notes that relevant submissions have already been dealt with at appropriate place in this finding.
- p. As regards the request for imposition of fixed form of duty, the Authority accepts the contention of the interested party and is recommending fixed form of duty through the present final findings.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

107. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- a. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping.
 - b. The dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The examination of the subject imports and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the subject imports in absolute and relative terms has remained high even after the commencement of commercial production in India. The imports are priced below the actual and target prices of the domestic industry leading to price suppression. At current prices, the domestic industry will not be able to achieve its target performance. The domestic industry has not been able to produce the product to the extent it could have produced. Further, despite significant demand for the product in the country, the domestic industry has not been able to sell even to the limited extent it has produced, and has seen significant increase in closing inventories. The domestic industry is suffering significant financial losses and negative return on investment.
 - c. The material retardation to the establishment of the domestic industry in India is due to the subject dumped imports from the subject countries.
 - d. The information on record shows that the non-imposition of the anti-dumping duty will adversely and materially impact the indigenous production. On the other hand, there would be no material impact of imposition of the anti-dumping duty on the consumers or downstream industry or the public at large.
 - e. On the basis of the information provided by the interested party and the investigation conducted, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty will not be against the public interest.
108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporter, the importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
109. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No	Heading	Description	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount of Duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	68069000/ 68080000/ 68091100/ 68091900/ 68099000 / 70195900/ 73083000	Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side	China PR	China PR	Dream brand new materials (Pingyi) co. ltd.	23.46	MT	USD

2	-do-	-do-	China PR	China PR	Shijiazhuang DianYu Import and Export co. Ltd.	35.68	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (1) to (2) above	47.62	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country Other than subject countries	China PR	Any	47.62	MT	USD
5	-do-	-do-	Oman	Oman	Global Gypsum Board Co. LLC.	71.80	MT	USD
6	-do-	-do-	Oman	Any country including Oman	Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (5)	91.42	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country Other than subject countries	Oman	Any	91.42	MT	USD

FURTHER PROCEDURE

110. An appeal against the recommendation of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority